हज़रत मौलाना आ़शिक़ इलाही साहिब बुलन्द शहरी रह.

मुसलमान औरतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातें

* औरतों के लिए *

रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल

लेखक

हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहिब बुलन्द शहरी रह.

हिन्दी अनुवादः मुहम्मद इमरान क़ासमी

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा. लि.)

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद

देहली-110006

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब — रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल

लेखक — मौलाना आशिक़ इलाही साहिब

हिन्दी अनुवाद — मुहम्मद इमरान क़ासमी

संयोजक — मुहम्मद नासिर ख़ान

तायदाद — 2100

प्रकाशन वर्ष — दिसम्बर 2003

कम्पोज़िंग — इमरान कम्प्यूटर्स
मुज़फ़्फ़र नगर (0131-2442408)

>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली-110006

फ़ोन आफ़िस, 23289786, 23289159 आवास, 23280786

विषय सूची

रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल

रमज़ान की बरकत और फज़ाइल व मसाइल

नबी करीम का खुतबा

हदीसः (1) हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फ़रमाया कि हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शाबान की आख़िरी तारीख़ में हमको ख़ुतबा (संबोधन) फ़रमाया कि "ऐ लोगो! एक बड़ाई वाला महीना आ पहुँचा है, जो मुबारक महीना है। उसमें एक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ फरमाये हैं और इसकी रातों में 'क़ियाम करना' (यानी नमाज़ों में खड़ा होना) ततव्वोअ (ग़ैर फ़र्ज़) क़रार दिया है। इस महीने में जो शख़्स कोई नेक काम करेगा उसको ऐसा अज्र व सवाब मिलेगा जैसे उसके अलावा दूसरे महीने में फ़र्ज़ अदा करता, और फ़र्ज़ का सवाब मिलता। और जो शख़्स इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करे तो उसको सत्तर फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा।

यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है और यह आपस की ग़मख़्वारी का महीना है, इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जो शख़्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ़्तार करा दे तो यह उसकी मग़फ़िरत का और दोज़ख़ से उसकी गर्दन की आज़ादी का सामान बन जायेगा और उसको उसी क़द्र सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को मिलेगा, मगर रोज़ेदार के सवाब में से कुछ कमी न होगी।

हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हममें से हर शख़्स को इतना मयस्सर नहीं जो रोज़ा इफ़्तार करा दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला यह सवाब उसको (भी) देगा जो पानी मिले हुए थोड़े-से दूध या एक खजूर या एक घूँट पानी से इफ़्तार करा दे। (आपने आगे यह भी फ़रमाया कि) जो शख़्स (इफ़्तार के बाद) किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिला दे उसको अल्लाह तआला मेरे हौज़ से ऐसा सैराब करेंगे कि जन्नत में दाख़िल होने तक प्यासा न होगा, (और फिर जन्नत में तो भूख-प्यास का नाम ही नहीं)। इस महीने का पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है, तीसरा हिस्सा दोज़ख़ से आज़ादी का है। जिसने इस महीने में अपने गुलाम का काम हल्का कर दिया तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देंगे।

बाज़ रिवायात में यह भी आया है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस मौके पर यह भी फ़रमाया कि इस महीने में चार कामों की कसरत करो, इनमें से दो काम ऐसे हैं कि उनके ज़रिये तुम अपने परवर्दिगार को राज़ी करोगे, दो काम ऐसे हैं जिनसे तुम बेपरवाह नहीं हो सकते हो। वे दो काम जिनके ज़रिये ख़ुदा-ए-पाक की ख़ुशनूदी हासिल होगी ये हैं: (1) **ला इला-ह इल्लल्लाहु** का विर्द रखना (2) ख़ुदा-ए-पाक से मग़फ़िरत तलब करते रहना। और वे दो चीज़ें जिनसे तुम बेपरवाह नहीं रह सकते ये हैं: (1) जन्नत का सवाल करना (2) दोज़ख़ से पनाह माँगना।

तशरीह: इनसान की पैदाइश इबादत और सिर्फ़ इबादत के लिए है, जैसा कि सूरः ज़ारियात में फ़रमाया गया:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

तर्जुमाः और मैंने इनसान और जिन्न को नहीं पैदा किया मगर इस वास्ते कि वे मेरी इबादत करें।

रोज़ा बदनी इबादत है जो पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था जैसा कि सूरः ब-क़रः में फ़रमाया है:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ، اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ

तर्जुमाः ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गये जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गये थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये रोज़े चन्द दिन के हैं।

रोज़े कि हिकमत

"ताकि तुम परहेज़गार बनो" में रोज़े की हिकमत की तरफ़ इशारा फ़रमाया है। तक़्वा छोटे बड़े, ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचने का नाम है। आयते करीमा ने बताया कि रोज़े का फ़र्ज़ होना तक़्वा (परहेज़गारी) हासिल करने के लिए है। बात यह है कि इनसान के अन्दर हैवानी जज़्बात हैं, नफ़्सानी ख़्वाहिशें साथ लगी हैं, जिनसे नफ़्स का उभार गुनाहों की तरफ़ होता रहता है रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिससे हैवानी जज़्बात कमज़ोर होते हैं और नफ़्स का उभार (जोश) कम हो जाता है। और शहवतों व लज़्ज़तों की उमंग घट जाती है।

पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखना हर आक़िल, बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। एक महीने खाने पीने और जिन्सी (सैक्सी) ताल्लुक़ात के तक़ाज़ों पर अमल करने से अगर रुका रहे तो बातिन के अन्दर एक निखार और नफ़्स के अन्दर सुधार पैदा हो जाता है। अगर कोई शख़्स रमज़ान के रोज़े उन अहकाम व आदाब की रोशनी में रख ले जो क़ुरआन व हदीस में बयान किये गये हैं तो वाक़ई नफ़्स साफ़ सुथरा

हो जाता है। फिर नफ़्स में उभार (यानी गुनाहों की तरफ़ रुझान और मैलान) होता है तो अगला रमज़ान आ मौजूद होता है।

रमज़ान मुबारक के रोज़ों के अलावा नफ़्ली रोज़े भी शरीअत में रखे गये हैं, उन रोज़ों का मुस्तक़िल सवाब है जो हदीस में ज़िक्र किया गया है। और सवाब के अलावा नफ़्ली रोज़ों का यह फ़ायदा भी है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते वक़्त जो अमली कोताहियाँ हुई और आदाब की रियायत का ख़्याल न रहा उस कोताही की तलाफ़ी हो जाती है। जो गुनाह इनसान से हो जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ें गुनाह का सबब बनती हैं- एक मुँह, दूसरी शर्मगाह। चुनाँचे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि सबसे ज़्यादा कौनसी चीज़ दोज़ख़ में दाख़िल कराने का ज़रिया बनेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब दियाः **मुँह और शर्मगाह।** इन दोनों को दोज़ख़ में दाख़िल कराने में ज़्यादा दख़ल है। रोज़े में मुँह और शर्मगाह दोनों पर पाबन्दी होती है और ज़िक्र हुई दोनों राहों से जो गुनाह हो सकते हैं, रोज़ा उनसे रोकने का बहुत बड़ा ज़रिया है इसी लिये तो एक हदीस में फ़रमायाः **रोज़ा ढाल है** (गुनाह से और दोज़ख़ की आग से भी बचाता है)। (बुख़ारी व मुस्लिम)

रोज़े की हिफ़ाज़त

अगर रोज़े को पूरी पाबन्दी और अहकाम व आदाब की पूरी रियायत के साथ पूरा किया जाये तो बिला शुब्हा गुनाहों से महफ़ूज़ रहना आसान हो जाता है। ख़ास रोज़े के वक़्त भी और उसके बाद भी, हाँ अगर किसी ने रोज़े के आदाब का ख़्याल न किया और गुनाहों में मशग़ूल रहते हुए रोज़े की नीयत कर ली और खाने-पीने और

नफ़्सानी ख़्वाहिश से बाज़ रहा मगर हराम कमाने और ग़ीबत करने में लगा रहा तो उससे फ़र्ज़ तो अदा हो जायेगा मगर रोज़े की बरकतें और उसके फल से मेहरूमी रहेगी जैसा कि हदीस की किताब निसाई शरीफ़ में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद नक़ल किया है:

हदीसः रोज़ा ढाल है जब तक उसको फाड़ न डाले।

और एक हदीस में इरशाद फ़रमाया:

हदीसः जो शख़्स रोज़ा रखकर झूठी बात और ग़लत काम न छोड़े तो अल्लाह को कुछ हाजत नहीं कि वह (गुनाहों को छोड़े बग़ैर) सिर्फ़ खाना-पीना छोड़ दे।

मालूम हुआ कि खाना, पीना और जिन्सी ताल्लुक़ात छोड़ने ही से रोज़ा कामिल नहीं होता बल्कि रोज़े को बुरे कामों और गन्दी बातों और हर तरह के गुनाहों से महफ़ूज़ रखना लाज़िम है। रोज़ा मुँह में हो और आदमी बद-कलामी करे, यह उसके लिये ज़ेब नहीं देता। इसी लिये तो दो जहाँ के सरदार सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

हदीसः जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो गन्दी बातें न करे, शोर न मचाये, अगर कोई शख़्स गाली-गलोज या लड़ाई-झगड़ा करने लगे (तो उसको गाली-गलोज या थप्पड़ से जवाब न दे) बल्कि यूँ कह दे कि मैं रोज़ेदार आदमी हूँ। (गाली-गलोज करना या लड़ाई लड़ना मेरा काम नहीं)।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि बहुत-से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनके लिए (हराम खाने या हराम काम करने या ग़ीबत वग़ैरह करने की वजह से) प्यास के अ़लावा कुछ भी नहीं। और बहुत-से तहज्जुद

गुज़ार ऐसे हैं जिनके लिए (रियाकारी की वजह से) जागने के सिवा कुछ नहीं। (दारमी)

रोज़ा और सेहत

रोज़े में जहाँ ज़ाहिर व बातिन की सफ़ाई होती है वहाँ सेहत व तन्दुरुस्ती भी हासिल होती है, चुनाँचे हाफ़िज़ मुन्ज़री रहमतुल्लाहि अलैहि ने "अत्तरग़ीब वत्तरहीब" में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद नक़ल किया है:

हदीसः जिहाद करो ग़नीमत (दुश्मन का माल व दौलत) हासिल होगी, रोज़े रखो तन्दुरुस्त रहोगे, सफ़र करो मालदार हो जाओगे।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो कुछ फ़रमाया बिल्कुल हक़ है। आँखों के सामने है, डॉक्टर व हकीम लोग भी यह बात बताते हैं कि रोज़े का जिस्मानी सेहत से ख़ास ताल्लुक़ है, और रमज़ान में जो माजरा सब अपनी आँखों से देखते हैं कि बारह चौदह घण्टे ख़ाली पेट रहकर इफ़्तार के वक़्त नरम-गरम दाल, पकौड़े, कच्चे-पक्के चने और तरह-तरह की चीज़ें चन्द मिनट के अन्दर मेदे (पेट) में पहुँच जाती हैं, और कुछ भी किसी को तकलीफ़ नहीं होती, यह सिर्फ़ रोज़े की बरकत है। अगर तिब्बी नुक़्ता-ए-नज़र से देखा जाये तो इस तरह ख़ाली पेट अनाप-शनाप भरती कर लेने की वजह से मेदा सख़्त बीमार हो जाना चाहिए।

रोज़े की फ़ज़ीलत

एक रोज़ा रख लेने से ख़ुदा पाक की तरफ़ से क्या इनाम मिलता है? इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः

हदीसः जो शख़्स अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए एक दिन रोज़ा

रखे अल्लाह तआला उसको दोज़ख़ की आग से इतनी दूर कर देंगे जितनी दूर कोई शख़्स सत्तर साल तक चलकर पहुँचे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हदीस में नफ़्लि या फ़र्ज़ रोज़े की तख़्सीस नहीं की गयी है, और ख़ास रमज़ान के रोज़ें के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

हदीसः शरअ़न जिसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त न हो और आजिज़ करने वाला मर्ज़ भी उसे न लगा हो, उसने अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया तो उम्र भर रोज़े रखने से भी उस एक रोज़े की तलाफ़ी न होगी, अगरचे बतौर क़ज़ा उम्र भर भी रोज़े रख ले।

(अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद व इब्ने माजा)

बात यह है कि हर चीज़ का एक मौसम होता है, और मौसम के एतिबार से चीज़ों और ग़ल्लों वग़ैरह की क़ीमत बढ़ती और चढ़ती है, माह रमज़ान मुबारक फ़र्ज़ रोज़ों के लिये मख़्सूस कर दिया गया है। अगर किसी ने अपनी बदबख़्ती से रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, उसके आमालनामे में 'गुनाहे-कबीरा' (बड़ा गुनाह) तो लिखा ही गया और रोज़ा रखने पर जो बहुत बड़ा सवाब और बहुत बड़ी ख़ैर व बरकत से मेहरूमी हुई वह इसके अलावा है जो बहुत बड़ा नुक़सान है। उस एक रोज़े के बदले अगर उम्र भर भी रोज़े रखे तब भी वह बात हासिल न होगी जो रमज़ान में रोज़ा रखने से हासिल होती, हाँ एक रोज़ा क़ज़ा की नीयत से रख देने से मसले के एतिबार से तो यह कह देंगे कि क़ज़ा रखने की ज़िम्मेदारी से 'सबुकदोशी' (मुक्ति और छुटकारा) हो गयी, और ज़ाबते की क़ज़ा रखने से क़ज़ा रखने का जो हुक्म है उसका पालन समझ लिया जायेगा, लेकिन यह ख़्याल कर लेना कि इससे उस सवाब की तलाफ़ी हो जायेगी जो रमज़ान में रोज़ा रखने

से मिलता और वे बरकतें भी नसीब हो जायेंगी जो माह रमज़ान में रोज़ा रखने से हिस्से में आ जातीं, यह ग़लत ख़्याल है।

आजकल बहुत-से हट्टे-कट्टे तन्दुरुस्त व ताक़तवर और अच्छे-ख़ासे लोग रमज़ान शरीफ़ के रोज़े नहीं रखते, ज़रा-सी भूख व प्यास और मामूली-सी बीड़ी, सिगरेट और पान तम्बाकू की तलब पूरी करने की वजह से रोज़े खा जाते हैं और सख़्त गुनाहगार होते हैं, यह ज़बरदस्त बुज़दिली और बेहिम्मती बल्कि बहुत बड़ी बेवफ़ाई है, कि जिसने जान दी, हाथ-पैर दिये, इनसानियत का शर्फ़ (सम्मान) बख़्शा, उसके लिये ज़रा-सी तकलीफ़ गवारा नहीं। रमज़ान के रोज़े रखना उन पाँच अरकान में से है जिनपर इस्लाम की बुनियाद है, जिसने रमज़ान के रोज़े न रखे उसने इस्लाम का एक रुक्न गिरा दिया और सख़्त मुजरिम हुआ।

रोज़े की एक ख़ास ख़ूबी

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़े के बारे में यह भी इरशाद फ़रमाया किः

हदीसः इनसान के हर अमल का अज्र (कम से कम) दस गुना बढ़ा दिया जाता है, (लेकिन) रोज़े के बारे में अल्लाह तआला का इरशाद है कि रोज़ा इस क़ानून से अलग है क्योंकि वह ख़ास मेरे लिये है और मैं ही उसका अज्र दूँगा। बन्दा मेरी वजह से अपनी ख़्वाहिशों को और खाने पीने को छोड़ देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इबादतें तो सब अल्लाह के लिए हैं, फिर रोज़े को ख़ास अपने लिए क्यों फ़रमाया? इसके बारे में उम्मत के आलिमों ने बताया है कि चूँकि दूसरी इबादतें ऐसी हैं जिनमें अमल किया जाता है और अमल नज़रों के सामने आ सकता है, इसलिए उनमें दिखावे का एहतिमाल

(शक और संदेह) रहता है, मगर रोज़ा अमल और काम नहीं है बल्कि फ़ेल और काम को छोड़ना है, इसमें कोई काम नज़र के सामने नहीं आता इसलिए रिया (दिखावे) से दूर है। रोज़ा वही रखेगा जिसे ख़ुदा-ए-पाक का डर होगा, और रोज़ा रखकर रोज़े को वही बाक़ी रखेगा जिसका सिर्फ़ सवाब के लेने का इरादा हो। अगर कोई शख़्स रोज़ा रखकर तन्हाई में कुछ खा-पी ले और लोगों के सामने आ जाये तो बन्दे तो उसे रोज़ेदार ही समझेंगे, रोज़ा रखकर रोज़े को वही पूरा करता है जो ख़ालिस अल्लाह की रिज़ा का तालिब होता है, इसी लिए **"अस्सौमु ली"** (यानी रोज़ा ख़ास मेरे लिए है) फ़रमाया, फिर जिस अमल में रिया (दिखावे) का एहतिमाल भी न हो उसका सवाब भी विशेष और नुमायाँ होना चाहिये, चुनाँचे ख़ुदा तआ़ला दूसरी इबादतों का सवाब फ़रिश्तों से दिला देते हैं और रोज़े का सवाब ख़ुद इनायत फ़रमायेंगे जो बे-इन्तिहा होगा।

मुल्ला अ़ली क़ारी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने अपनी किताब मिरक़ात में फ़रमाया है कि रोज़े के सवाब का अन्दाज़ा और उसकी मात्रा अल्लाह पाक के अ़लावा और किसी को मालूम नहीं इसलिए कि रोज़े के अन्दर कुछ ऐसी ख़ुसूसियतें और विशेषताएँ हैं जो दूसरी इबादतों में नहीं पाई जातीं इसी लिए अल्लाह तआ़ला ने इसका अज्र अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ रखा, फ़रिश्तों को इसका अज्र देने पर मामूर नहीं फ़रमाया।

रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा

हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जन्नत में

आठ दरवाज़े हैं, जिनमें से एक का नाम **रय्यान** (1) है, इससे सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाख़िल होंगे। (मिश्कात शरीफ़ पेजः 173)

रोज़ेदार को दो ख़ुशियाँ

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है किः

हदीसः रोज़ेदार के लिये दो ख़ुशियाँ हैं- एक ख़ुशी इफ़्तार के वक़्त होती है और एक ख़ुशी उस वक़्त होगी जब अपने रब से मुलाक़ात करेगा।

दर हक़ीक़त रब की मुलाक़ात ही तो इबादत का असल मक़सद है, उस वक़्त की ख़ुशी का क्या कहना जब आजिज़ बन्दे अपने माबूद से मुलाक़ात करेंगे। अल्लाह तआला हम सब को यह मुलाक़ात नसीब फ़रमाये। आमीन।

रमज़ान और क़ुरआन

अल्लाह के कलाम को रमज़ान मुबारक से ख़ास ताल्लुक़ है जैसा कि सूरः ब-क़रः में इरशाद फ़रमाया हैः

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

तर्जुमाः माह रमज़ान है जिसमें क़ुरआन नाज़िल किया गया।

"क़्यामे रमज़ान" यानी तरावीह की नमाज़, यह भी क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने और सुनने के लिये है। दिन को रोज़े में मशग़ूलियत और रात को तरावीह में खड़े होकर ज़ौक़ व शौक़ से क़ुरआन पढ़ना या सुनना इससे मोमिन के दिल में एक अजीब सुरूर पैदा होता है, और ये दोनों शग़ल क़ियामत के दिन मोमिन के काम आयेंगे। हुज़ूरे अक्दस

(1) रय्यान के मयने हैं सैराबी वाला, चूँकि रोज़ेदारों ने रोज़े की हालत में दुनिया में प्यास की तकलीफ़ उठायी जिसका अज्र जन्नत की सैराबी होगी, इसलिए उस दरवाज़े का नाम रय्यान रखा गया है जिससे रोज़ेदार जन्नत में दाख़िल होंगे।

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

हदीसः रोज़ा और कुरआन बन्दे के लिये बारगाहे ख़ुदावन्दी में सिफ़ारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ रब! मैंने इस बन्दे को दिन में खाने पीने और दूसरी ख़्वाहिशों से रोक दिया था। लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश क़बूल फ़रमा लीजिये। और कुरआन मजीद अ़र्ज़ करेगा कि मैंने इसे रात को सोने नहीं दिया लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश क़बूल फ़रमा लीजिये, चुनाँचे दोनों की सिफ़ारिश क़बूल कर ली जायेगी। (मिश्कात शरीफ़ पेज 173)

हर साल रमज़ान मुबारक में हजरत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कुरआन मजीद का दौर किया करते थे। आँ हजरत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम को सुनाते और वह नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सुनाते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात हुई उस साल दो बार दौर किया इससे पहले एक बार दौर किया करते थे। (बुख़ारी)

इससे मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक में कुरआन के हाफ़िज़ हज़रात का एक-दूसरे को सुनाने का जो राईज तरीक़ा है यह सुन्नत है, रमज़ान में हिम्मत करके हाफ़िज़ व 'नाज़रा' (देखकर पढ़ने वाले) ख़ूब कुरआन की तिलावत करें, दस पाँच तो ख़त्म कर ही लें।

रमज़ान में रोज़े और तरावीह व नवाफ़िल

हदीसः (2) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब का यक़ीन रखते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जिसने रमज़ान (की रातों) में ईमान के साथ और सवाब का यक़ीन

रखते हुए क़्याम किया (तरावीह और नफ़िल में मशगूल रहा) उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जिसने शबे-क़द्र में ईमान के साथ सवाब समझते हुए क़्याम किया उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 173. बुख़ारी व मुस्लिम के हवाले से)

तशरीहः इस मुबारक हदीस में रमज़ान शरीफ़ के रोज़े पर पिछले गुनाहों की माफ़ी का वायदा फ़रमाया है, और रमज़ान की रातों में क़्याम (तरावीह व नवाफ़िल पढ़ने) और शबे-क़द्र में क़्याम करने की फ़ज़ीलत बतायी है, और रमज़ान में रात को अल्लाह के सामने नमाज़ में खड़े होने इसी तरह शबे-क़द्र में इबादत करने पर भी पिछले गुनाहों की माफ़ी का ऐलान फ़रमाया।

रमज़ान मुबारक में रातों को नमाज़ें पढ़ते रहना **"क़्यामे-रमज़ान"** कहलाता है। तरावीह भी इसमें दाख़िल है, और तरावीह के अलावा जितने नवाफ़िल पढ़ सकें, पढ़ते रहें। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि से नक़ल किया गया है कि वह रोज़ाना तरावीह जमाअत के साथ से फ़ारिग़ होकर सुबह तक एक क़ुरआन मजीद नमाज़ में खड़े होकर ख़त्म कर लेते थे, और एक क़ुरआन मजीद रोज़ाना दिन में ख़त्म करते थे, इस तरह से रमज़ान में उनके इकसठ (61) ख़त्म हो जाते थे।

तरावीह

तरावीह की नमाज़ मर्दों, औरतों सबके लिये बीस रकअत सुन्नते मुअक्कदा हैं, और मर्दों के लिये यह भी मसनून है कि मस्जिद में जमाअत के साथ तरावीह पढ़ें। हाफ़िज़ हों तो ख़ुद क़ुरआन सुनायें वरना दूसरों का क़ुरआन सुनें। रमज़ान में क़ुरआन पढ़ने और सुनने का ज़ौक़ बढ़ जाना मोमिन के ईमान का तक़ाज़ा है। जो लोग तरावीह

की नमाज़ में सुस्ती करते हैं या बेहिसाब तेज़ पढ़ने वाले हाफ़िज़ को तरावीह पढ़ाने के लिये तजवीज़ करते हैं ताकि जल्दी फ़ारिग़ हो जायें (अगरचे उस तेज़ पढ़ने में कुरआन के हुरूफ़ कट जायें और मायने बदल जायें) ऐसे लोग सख़्त ग़लती पर हैं। साल में एक महीने के लिये तो यह मौक़ा नसीब होता है इसमें भी मस्जिद और नमाज़ से लगाव न हो और जल्दी भागने की कोशिश करें जैसे जेल से भाग रहे हों बहुत बड़ी मेहरूमी है। ऐसे लोग तरावीह के अलावा क्या नफ़िल पढ़ते होंगे, तरावीह जो सुन्नते मुअक्कदा है उसी को बद्-दिली से पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ने का नाम करके जल्दी से होटल में जाकर खेल-तमाशे और बेकार के मशग़लों में मशग़ूल हो जाते हैं, **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।**

बहुत-सी औरतें रोज़े तो ख़ूब रखती हैं और शबे-क़द्र में भी ख़ूब जाग लेती हैं लेकिन तरावीह पढ़ने में सुस्ती करती हैं।

ऐ माँओ-बहनो! आख़िरत के कामों में ग़फ़लत न बरतो। तरावीह पूरी बीस रक्अ़त पढ़ा करो। अगर किसी वजह से जैसे बच्चों के रोने चीख़ने या उनके बीमार होने की वजह से शुरू रात में पूरी तरावीह न पढ़ सको तो जब सेहरी के लिये उठो उस वक़्त पूरी कर लो, बल्कि अगर शुरू रात में पूरी ही नमाज़े तरावीह रह जाये तो पूरी बीस रक्अ़तें सेहरी के वक़्त पढ़ लो।

रमज़ान आख़िरत की कमाई का महीना है इसमें ख़ूब ज़्यादा इबादत करें

हदीसः (3) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि फ़रमाया हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जब रमज़ान (का महीना) दाख़िल होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल

दिये जाते हैं, और बाज़ रिवायतों में है कि जन्नत के दरवाज़े खुलवा दिये जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतानों को (ज़ंजीरों में) जकड़ दिया जाता है। (और एक रिवायत में है कि) रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं)।

(मिश्कात शरीफ़ पेज 173 बुख़ारी व मुस्लिम से)

हदीसः (4) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्न जकड़ दिये जाते हैं, और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं। फिर (रमज़ान के ख़त्म होने तक) उनमें से कोई एक दरवाज़ा भी नहीं खोला जाता। और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं फिर (रमज़ान के ख़त्म होने तक) उनमें का एक दरवाज़ा भी बन्द नहीं किया जाता। और एक पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ ख़ैर की तलाश करने वाले! आगे बढ़, और ऐ बुराई के तलाश करने वाले! रुक जा। (मिश्कात शरीफ़ पेज 173 तिर्मिज़ी के हवाले से)

तशरीहः इन दोनों हदीसों से चन्द बातें मालूम हुईः

पहलीः यह कि रमज़ान के शुरू महीने से ही जन्नत के और रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, जो महीने के ख़त्म तक बन्द नहीं किये जाते, और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं जो महीना ख़त्म होने तक नहीं खोले जाते।

दूसरीः रमज़ान का महीना आने पर शैतानों और सरकश जिन्नात को जकड़ दिया जाता है।

तीसरीः एक पुकारने वाला रोज़ाना रमज़ान की रातों में पुकार कर कहता है कि ऐ नेकी के तलाश करने वाले! आगे बढ़, और ऐ बुराई करने वाले! रुक जा।

चौथी: रमज़ान में रोज़ाना रात को अल्लाह जल्ल शानुहू बहुत-से लोगों को दोज़ख़ से आज़ाद फ़रमाते हैं।

रमज़ान मुबारक बहुत ही ख़ैर व बरकत का महीना है, और आख़िरत की कमाई का बहुत बड़ा सीज़न है, जैसे सर्दी के ज़माने में गर्म कपड़े वालों की ख़ूब कमाई होती है और जैसे बारिश में टैक्सी वालों की ख़ूब चाँदी बन जाती है, इसी तरह आख़िरत की कमाई के लिये भी ख़ास-ख़ास मौक़े आते रहते हैं।

रमज़ान मुबारक नेकियों का महीना है, इसमें अज्र व सवाब ख़ूब ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नफ़िल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सत्तर फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। जैसा कि नबी-ए-पाक के ख़ुतबे में गुज़र चुका है। इस महीने में नेकियों की ऐसी हवा चलती है कि ख़ुद-ब-ख़ुद तबीयतें नेकी पर आ जाती हैं और अल्लाह का मुनादी भी नेकी करने वालों को थपकी दे-देकर आगे बढ़ता है, आख़िरकार ऐसी सूरत में मोमिन बन्दे ख़ूब ज़ोर शोर से नेकियों में लग जाते हैं। जो शख़्स दूसरे महीनों में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ने से जान चुराता है वह रमज़ान मुबारक में पंज-वक़्ता नमाज़ और तिलावत का पाबन्द हो जाता है, और न सिर्फ़ पंज-वक़्ता फ़र्ज़ पढ़ता है बल्कि इशा के फ़र्ज़ों के बाद तरावीह की ख़ूब लम्बी-लम्बी बीस रकअ़तें ख़ुशी-ख़ुशी के साथ अदा कर लेता है। बहुत-से शराबियों को देखा गया है कि इस माह में शराब छोड़ देते हैं और हराम-ख़ोर हराम खाने से बाज़ आ जाते हैं।

फ़र्ज़ों की पाबन्दी तो बहरहाल ज़रूरी है, नफ़िल नमाज़, ज़िक्र, तिलावत और दूसरी इबादतों की तरफ़ भी ख़ुसूसी तवज्जोह करना चाहिये। इस माह में कोशिश करें कि कोई मिनट ज़ाया न हो। **ला इला-ह इल्लल्लाहु** और **इस्तिग़फ़ार** की कसरत करें (यानी ख़ूब ज़्यादा

करें) और जन्नत का सवाल और दोज़ख़ से महफ़ूज़ रहने की दुआ भी कसरत से करें, जैसा कि नबी पाक के ख़ुतबे में गुज़र चुका है।

शायद किसी के दिल में यह ख़्याल गुज़रे कि जब शैतान बन्द हो जाते हैं तो बहुत-से लोग रमज़ान में भी गुनाहों में मुब्तला क्यों नज़र आते हैं? बात असल यह है कि इनसान का नफ़्स गुनाह कराने में शैतान से कम नहीं है, जिन लोगों को गुनाहों की ख़ूब आदत हो जाती है, उन्हें गुनाहों का चस्का पड़ जाता है, शैतान के तरग़ीब दिये बग़ैर भी उनकी ज़िन्दगी की गाड़ी गुनाहों की पटरी पर चलती रहती है। गुनाह तो इनसान से हो ही जाता है, मगर गुनाह का आदी बनना और उसपर क़ायम रहना और रमज़ान जैसे महीने में गुनाह करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जहाँ गुनाह कराने के लिये शैतान के बहकाने की भी ज़रूरत न पड़े वहाँ नफ़्स की शरारत का क्या हाल होगा?

रमज़ान और तहज्जुद

रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि तहज्जुद के वक़्त सेहरी खाने के लिये तो उठते ही हैं, सेहरी खाने से पहले या बाद में (जब तक सुबह सादिक़ न हो) जिस क़द्र मयस्सर हो सके नवाफ़िल पढ़ लिया करें, इस तरह पूरे रमज़ान में तहज्जुद नसीब हो सकती है, फिर आदत पड़ जाये तो बाद में भी जारी रख सकती हैं, वरना कम-से-कम रमज़ान में तो तहज्जुद की पाबन्दी कर ही लें।

रमज़ान और सख़ावत

रमज़ान मुबारक सख़ावत का महीना है। इसमें जिस क़द्र अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाये कम है, क्योंकि यह महीना आख़िरत की कमाई का महीना है, इसमें रोज़ा इफ़्तार कराने और रोज़ा खोलने के

बाद रोज़ेदार को पेट भर के खिलाने की भी ख़ास फ़ज़ीलत आई है और इस महीने को **"शहरुल-मुवासात"** (ग़म खाने का महीना) फ़रमाया है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़ुतबे में गुज़रा। ग़रीबों की इमदाद और उनका ख़्याल रखना इस महीने के कामों में एक अहम काम है। एक हदीस में इरशाद है:

हदीसः जब रमज़ान का महीना आ जाता था तो हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर क़ैदी को आज़ाद फ़रमाते थे और हर सवाल करने वाले को अ़ता फ़रमाते थे। (मिश्कात शरीफ़)

एक और हदीस में है:

हदीसः हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सब लोगों से ज़्यादा सख़ी थे और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सख़ावत रमज़ान मुबारक में तमाम दिनों से ज़्यादा हो जाती थी। रमज़ान में हर रात को हज़रत जिबराईल अ़लैहिस्सलाम आप से मुलाक़ात करते थे (और) आप उनको कुरआन शरीफ़ सुनाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से जिबराईल अ़लैहिस्सलाम मुलाक़ात करते थे तो आप उस हवा से भी ज़्यादा सख़ी हो जाते थे जो बारिश लाती है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

रोज़ा इफ़्तार कराना

फ़रमाया ख़ातिमुल्-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जिसने रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाया या मुजाहिद को सामान दे दिया तो उसको रोज़ेदार और मुजाहिद जैसा अज्र मिलेगा। (बैहक़ी ज़ैद बिन ख़ालिद से) और ग़ाज़ी व रोज़ेदार के सवाब में कुछ कमी न होगी, जैसा कि दूसरी हदीस से साबित है।

रोज़े में भूलकर खा-पी लेना

फ़रमाया रहमतुल्लिल्-आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जो शख़्स रोज़े में भूलकर खा-पी ले तो रोज़ा पूरा कर ले क्योंकि (उसका कुछ कुसूर नहीं) उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

सेहरी खाना

फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि सेहरी खाया करो क्योंकि सेहरी में बरकत है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और यह भी फ़रमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सेहरी खाने का फ़र्क़ है। (मुस्लिम)

और एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सेहरी खाने वालों पर ख़ुदा और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं। (तिबरानी)

इफ़्तार में जल्दी करना

फ़रमाया नबी-ए-रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि लोग हमेशा ख़ैर पर रहेंगे जब तक इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे, यानी सूरज छुपते ही फ़ौरन रोज़ा खोल लिया करेंगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और फ़रमाया रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि बन्दों में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा वह है जो इफ़्तार में सबसे ज़्यादा जल्दी करने वाला है, यानी सूरज के छुपते ही फ़ौरन इफ़्तार करता है, और उसे उसमें जल्दी का ख़ूब एहतिमाम रहता हैं। (तिर्मिज़ी)

और फ़रमाया दोनों जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब उधर से (यानी पूरब से) रात आ गयी और इधर से (यानी

पश्चिम से) दिन चला गया तो रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त हो गया। (आगे इन्तिज़ार करना फ़ुज़ूल है बल्कि मक्रूह है)। (मुस्लिम)

खजूर और पानी से इफ़्तार

फ़रमाया रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब तुम रोज़ा खोलने लगो तो ख़जूरों से इफ़्तार करो क्योंकि खजूर पूरी की पूरी बरकत है। अगर खजूर न मिले तो पानी से रोज़ा खोल लो, क्योंकि वह (अन्दर व बाहर को) पाक करने वाला है। (तिर्मिज़ी)

रोज़ा जिस्म की ज़कात है

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया ख़ातिमुल्-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। (इब्ने माजा)

सर्दी में रोज़ा

हज़रत आमिर बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि सर्दी के मौसम में रोज़ा रखना मुफ़्त का सवाब है। (तिर्मिज़ी)

मुफ़्त का सवाब इसलिये फ़रमाया कि उसमें प्यास नहीं लगती और दिन भी छोटा होता है।

नापाकी की हालत रोज़े के ख़िलाफ़ नहीं

फ़रमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रमज़ान मुबारक में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नापाकी की हालत में सुबह हो जाती थी, और यह नापाकी एहतिलाम (स्वपनदोष) की नहीं (बल्कि बीवियों के साथ ताल्लुक़ क़ायम करने की वजह से होती थी) फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुस्ल फ़रमाकर रोज़ा रखते थे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

मतलब यह है कि सुबह सादिक़ से पहले गुस्ल नहीं फ़रमाया और रोज़े की नीयत फ़रमा ली, फिर सूरज निकलने से पहले गुस्ल फ़रमाकर नमाज़ पढ़ ली। इस तरह से रोज़े का कुछ हिस्सा नापाकी की हालत में गुज़रा, इसलिये कि रोज़ा सुबह सादिक़ के बिल्कुल आरंभ से शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर रोज़े में एहतिलाम (सोने की हालत में नहाने की ज़रूरत) हो जाये तो भी रोज़ा फ़ासिद नहीं होता क्योंकि नापाकी रोज़े के मुनाफ़ी (विपरीत और ख़िलाफ़) नहीं है।

रोज़े में मिस्वाक

फ़रमाया हज़रत आमिर बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मैंने रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रोज़े की हालत में इतनी बार मिस्वाक करते हुए देखा है कि जिसका मैं शुमार नहीं कर सकता। (तिर्मिज़ी)

मिस्वाक गीली हो या ख़ुश्क रोज़े में हर वक़्त कर सकते हैं, अलबत्ता मंजन, टूथपाउडर, टूथपेस्ट या कोयला वग़ैरह से रोज़े में दाँत साफ़ करना मकरूह है।

रोज़े में सुर्मा

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरी आँख में तकलीफ़ है, क्या मैं सुर्मा लगा लूँ? फ़रमाया, लगा लो। (तिर्मिज़ी)

रमज़ान के आख़िरी दशक में इबादत का ख़ास एहतिमाम किया जाये:

हदीसः (5) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फ़रमाती हैं कि जब रमज़ान का आख़िरी अश्रा (दशक) आता था तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने तहबन्द को मज़बूत बांध लेते थे

और रात भर इबादत करते थे, और अपने घर वालों को (भी इबादत के लिये) जगाते थे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 182)

तशरीहः एक हदीस में है कि महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रमज़ान के आख़िरी दस दिनों के अन्दर जितनी मेहनत से इबादत करते थे, उसके अ़लावा दूसरे दिनों में उतनी मेहनत न करते थे। (मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत आ़यशा ने यह जो फ़रमाया कि रमज़ान के आख़िरी दशक में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तहबन्द कस लेते थे, आ़लिमों ने इसके दो मतलब बताये हैं- एक यह कि ख़ूब मेहनत और कोशिश से इबादत करते थे और रातों-रात जागते थे। यह ऐसा ही है जैसे उर्दू के मुहावरे में मेहनत का काम बताने के लिये बोला जाता है कि "ख़ूब कमर कस लो"। और दूसरा मतलब तहबन्द कसकर बाँधने का यह बताया कि रात को बीवियों के पास लेटने से दूर रहते थे क्योंकि सारी रात इबादत में गुज़र जाती थी, और एतिकाफ़ भी होता था, इसलिये रमज़ान के आख़िरी दशक में मियाँ-बीवी वाले ख़ास ताल्लुक़ का मौक़ा नहीं लगता था।

हदीस के आख़िर में जो **"अपने घर वालों को भी जगाते थे"** फ़रमाया इसका मतलब यह है कि रमज़ान के आख़िरी दशक में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुद भी बहुत मेहनत और कोशिश से इबादत करते थे और घर वालों को भी इस मक़सद के लिये जगाते थे, बात यह कि जिसे आख़िरत का ख़्याल हो, मौत के बाद के हालात का यक़ीन हो, अज्र व सवाब के लेने का लालच हो वह क्यों न मेहनत और कोशिश से इबादत में लगेगा। फिर जो अपने लिये पसन्द करे वही अपने घर वालों के लिये भी पसन्द करना चाहिये।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आ़म रातों में नमाज़ों

के अन्दर इतने खड़े होते थे कि क़दम मुबारक सूज जाते थे, फिर रमज़ान के अन्दर और ख़ुसूसन आख़िरी दशक में तो और ज़्यादा इबादत बढ़ा देते थे, क्योंकि यह महीना और ख़ासकर आख़िरी दस दिन आख़िरत की कमाई का ख़ास मौक़ा है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कोशिश होती थी कि घर वाले भी इबादत में लगे रहें, लिहाज़ा आख़िरी दस दिनों की रातों में उनको भी जगाते थे। बहुत-से लोग ख़ुद तो बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं लेकिन बाल बच्चों की तरफ़ से ग़ाफ़िल रहते हैं, घर के लोग फ़र्ज़ नमाज़ भी नहीं पढ़ते। अगर बाल बच्चों को हमेशा दीन पर डालने और इबादत में लगाने की कोशिश की जाती रहे और उनको हमेशा फ़राईज़ का पाबन्द रखा जाये तो रमज़ान में नफ़्लों के लिये उठाने और शबे-क़द्र में जगाने की भी हिम्मत हो। जब बाल बच्चों का ज़ेहन दीनी नहीं बनाया तो उनके सामने रात को जागकर इबादत करने की बात करते हुए डरते हैं। अल्लाह तआ़ला हम सबको अपनी मुहब्बत अ़ता फ़रमाए और इबादत की लगन और ज़िक्र के ज़ौक़ से नवाज़े। आमीन।

शबे-क़द्र और उसकी दुआ़

हदीसः (6) हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! इरशाद फ़रमाइये कि अगर मुझे पता चल जाये कि फ़लाँ रात को शबे-क़द्र है तो मैं क्या दुआ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया यह दुआ़ करोः

अल्लाहुम्-म इन्न-क अ़फ़ुव्वुन् तुहिब्बुल् अ़फ़्-व फ़अ़फ़ु अ़न्नी

शबे-क़द्र की फ़ज़ीलत

रमज़ान मुबारक का पूरा महीना आख़िरत की दौलत कमाने का है, फिर इस महीने में आख़िरी दस दिन और भी ज़्यादा मेहनत और

कोशिश से इबादत में लगने के हैं। इस दशक (आख़िरी दस दिन) में शबे-क़द्र होती है जो बड़ी बरकत वाली रात है। क़ुरआन मजीद में इरशाद फ़रमायाः

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

तर्जुमाः शबे-क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है।

हज़ार महीने के 83 साल और 4 महीने होते हैं, फिर शबे-क़द्र को हज़ार महीनों के बराबर नहीं बताया बल्कि हज़ार महीनों से बेहतर बताया है। हज़ार महीने से शबे-क़द्र किस क़द्र बेहतर है इसका इल्म अल्लाह ही को है। मोमिन बन्दों के लिये शबे-क़द्र बहुत ही ख़ैर व बरकत की चीज़ है। एक रात जागकर इबादत कर लें और हज़ार महीनों से ज़्यादा इबादत का सवाब पा लें, इससे बढ़कर और क्या चाहिये? इसी लिए तो हदीस शरीफ़ में फ़रमायाः

हदीसः जो शख़्स शबे-क़द्र से मेहरूम हो गया (गोया) पूरी भलाई से मेहरूम हो गया, और शबे-क़द्र की ख़ैर से वही मेहरूम होता है जो पूरी ही तरह मेहरूम हो। (इब्ने माजा)

मतलब यह है कि चन्द घण्टे की रात होती है और उसमें इबादत कर लेने से हज़ार महीने से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलता है, चन्द घण्टे जागकर नफ़्स को समझा-भुझाकर इबादत कर लेना कोई ऐसी क़ाबिले ज़िक्र तकलीफ़ नहीं जो बरदाश्त से बाहर हो, तकलीफ़ ज़रा-सी और सवाब बहुत बड़ा। अगर कोई शख़्स एक नया पैसा तिजारत में लगा दे और बीस करोड़ का नफ़ा पाये उसको कितनी ख़ुशी होगी? और जिस शख़्स को इतने बड़े नफ़े का मौक़ा मिला फिर उसने तवज्जोह न की उसके बारे में यह कहना बिल्कुल सही है कि वह पूरा और पक्का मेहरूम है।

पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थीं, इस उम्मत की उम्र बहुत से बहुत 70, 80 साल होती है, अल्लाह पाक ने यह एहसान फ़रमाया कि इनको शबे-क़द्र अ़ता फ़रमा दी, और एक शबे-क़द्र की इबादत का दरजा हज़ार महीनों की इबादत से ज़्यादा कर दिया। मेहनत कम हुई, वक़्त भी कम लगा और सवाब में बड़ी-बड़ी उम्र वाली उम्मतों से बढ़ गये। अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व इनाम है कि इस उम्मत को सबसे ज़्यादा नवाज़ा, अब देखो! बन्दों की कैसी नालायक़ी होगी कि अल्लाह की बहुत ज़्यादा नवाज़िश और इनायत हो और ग़फ़लत में पड़े सोया करें। रमज़ान का कोई लम्हा ज़ाया न होने दो, ख़ुसूसन आख़िरी दस दिनों में इबादत का ख़ास एहतिमाम करो, और उसमें भी शबे-क़द्र में जागने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करो, बच्चों को भी इसका शौक़ दिलाओ।

दुआ़

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने जब पूछा कि या रसूलल्लाह! शबे-क़द्र में क्या दुआ़ करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह दुआ़ तालीम फ़रमा दीः

अल्लाहुम्-म इन्न-क अ़फ़ुव्वुन् तुहिब्बुल् अ़फ़्-व फ़अ़्फ़ु अ़न्नी

तर्जुमाः ऐ अल्लाह! इसमें शक नहीं कि आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने को पसन्द फ़रमाते हैं, लिहाज़ा मुझे माफ़ फ़रमा दीजिये।

देखिये कैसी दुआ़ इरशाद फ़रमाई, न माल माँगने को बताया न ज़मीन न धन न दौलत, क्या माँगा जाये? माफ़ी! बात असल यह है कि आख़िरत का मामला सबसे ज़्यादा कठिन है। वहाँ अल्लाह के माफ़ फ़रमाने से काम चलेगा। अगर माफ़ी न हुई और ख़ुदा न करे अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हुए तो दुनिया की हर नेमत और लज़्ज़त और माल व दौलत बेकार होगी, असल चीज़ माफ़ी और मग़फ़िरत ही है। एक

हदीस में इरशाद है:

हदीसः जो शख़्स शबे-क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से (इबादत के लिये) खड़ा रहा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज़ में खड़ा रहे और इसी हुक्म में यह भी है कि तिलावत और ज़िक्र में मशग़ूल हो। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि रियाकारी और दिखावे वग़ैरह किसी तरह की ख़राब नीयत से इबादत में मशग़ूल न हो, बल्कि इख़्लास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रिज़ा और सवाब की नीयत से इबादत में लगा रहे।

बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि सवाब की नीयत का मतलब यह है कि सवाब का यक़ीन करके दिल की ख़ुशी से खड़ा हो, बोझ समझकर बद-दिली के साथ इबादत में न लगे, कि सवाब का यक़ीन और एतिक़ाद जिस क़द्र ज़्यादा होगा उतना ही इबादत में मशक़्क़त का बरदाश्त करना आसान होगा। यही वजह है कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की नज़दीकी में जिस क़द्र तरक़्क़ी करता जाता है इबादत में उसका लगना ज़्यादा होता जाता है।

साथ ही यह भी मालूम हो जाना ज़रूरी है कि ऊपर वाली हदीस और इस जैसी दूसरी हदीसों में गुनाहों की माफ़ी का ज़िक्र है। आ़लिम हज़रात इस बात पर एक-राय हैं कि "कबीरा गुनाह" (बड़े गुनाह) बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। पस जहाँ हदीसों में गुनाहों के माफ़ होने का ज़िक्र आता है वहाँ छोटे गुनाह मुराद होते हैं, और छोटे गुनाह ही इनसान से बहुत ज़्यादा होते हैं। इबादत का सवाब भी और हज़ारों गुनाहों की माफ़ी भी हो जाये किस क़द्र बड़ा नफ़ा है।

शबे-क़द्र की तारीख़ें

शबे-क़द्र के बारे में हदीसों में आया है कि रमज़ान के आख़िरी दशक (आख़िरी दस दिनों) की 'ताक़' (यानी बेजोड़ जैसे 21 23 वग़ैरह) रातों में तलाश करो, लिहाज़ा रमज़ान की 21 वीं 23 वीं 25 वीं 27 वीं 29 वीं रात को जागने और इबादत करने की ख़ास पाबन्दी करें, ख़ासकर 27 वीं रात को तो ज़रूर जागें, क्योंकि उस दिन शबे-क़द्र होने की ज़्यादा उम्मीद होती है।

हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन इसलिए बाहर तशरीफ़ लाये कि हमें शबे-क़द्र की इत्तिला फरमा दें, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था, आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मैं इसलिये आया था कि तुम्हें शबे-क़द्र की इत्तिला दूँ मगर फ़लाँ-फ़लाँ शख़्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसका मुक़र्ररा वक़्त मेरे ज़ेहन से उठा लिया गया। हो सकता है कि यह उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो। (बुख़ारी)

लड़ाई-झगड़े का असर

इस मुबारक हदीस से मालूम हुआ कि आपस का झगड़ा इस क़द्र बुरा अमल है कि इसकी वजह से अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल मुबारक से शबे-क़द्र का मुतैयन वक़्त उठा लिया, यानी किस रात को शबे-क़द्र है मख़्सूस कराके उसका इल्म जो दे दिया गया था वह दिल से उठा लिया गया। अगरचे बाज़ कारणों से इसमें भी उम्मत का फ़ायदा हो गया, जैसा कि इन्शा-अल्लाह तआला हम अभी ज़िक्र करेंगे, लेकिन सबब आपस का झगड़ा बन गया, जिससे आपस में झगड़े की बुराई और निन्दा का पता चला।

शबे-क़द्र को मुतैयन न करने में मस्लेहतें

दीन के आलिमों ने शबे-क़द्र को पोशीदा रखने यानी मुक़र्रर करके यूँ न बताने के बारे में कि फ़लाँ रात को शबे-क़द्र है चन्द मस्लेहतें बतायी हैं:

पहली: यह कि अगर इसका मुतैयन वक़्त बाक़ी रहता तो बहुत-से तबीयत के काहिल दूसरी रातों का एहतिमाम बिल्कुल छोड़ देते, और मौजूदा सूरत में इस उम्मीद और शुब्हे पर कि शायद आज ही शबे-कद्र हो अनेक रातों में इबादत की तौफ़ीक़ नसीब हो जाती है।

दूसरी: यह कि बहुत-से लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह किए बग़ैर नहीं रहते, अगर यह मुतैयन हो जाती तो अगर बावजूद मालूम होने के गुनाहों की जुर्रत की जाती तो यह बात सख़्त ख़तरनाक थी।

तीसरी: यह कि शबे-क़द्र मुतैयन होने की सूरत में अगर किसी शख़्स से वह रात छूट जाती तो आईन्दा रातों में तबीयत के बुझ जाने की वजह से फिर किसी रात का जागना दिल की ख़ुशी और तबीयत की ताज़गी के साथ नसीब न होता, और दिल की ख़ुशी और तबीयत की ताज़गी के साथ रमज़ान की चन्द रातों की इबादत शबे-क़द्र की तलाश में नसीब हो जाती हैं।

चौथी: यह कि जितनी रातें तलब में ख़र्च होती हैं उन सब का मुस्तक़िल सवाब अलग मिलता है।

पाँचवीं: यह कि रमज़ान की इबादत में हक़ तआला जल्ल शानुहू फ़रिश्तों पर तफ़ाख़ुर (गर्व) फ़रमाते हैं, इस सूरत में गर्व का मौक़ा ज़्यादा है कि बावजूद मालूम न होने के सिर्फ़ एहतिमाल, अन्देशे और उम्मीद पर रात-रात भर जागते हैं, और इबादत में मशग़ूल रहते हैं।

और इनके अलावा और भी मस्लेहतें हो सकती हैं। मुम्किन है झगड़े की वजह से ख़ास रमज़ान मुबारक में इसका मुतैयन वक़्त भुला दिया गया हो, और उसके बाद ज़िक्र हुई मस्लेहतों या दीगर मस्लेहतों की वजह से हमेशा के लिये इसका मुतैयन वक़्त उठा लिया गया हो। अल्लाह तआला ही को असल इल्म है।

रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़

हदीसः (7) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फ़रमाती हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के आख़िरी दशक में एतिकाफ़ फ़रमाते थे, वफ़ात होने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मामूल रहा, आपके बाद आपकी बीवियाँ एतिकाफ़ करती थीं। (मिश्कात शरीफ़ पेज 183)

तशरीहः रमज़ान मुबारक की हर घड़ी और मिनट व सैकण्ड को ग़नीमत जानना चाहिये। जितना मुम्किन हो इस महीने में नेक काम कर लो और सवाब लूट लो। फिर रमज़ान में भी आख़िरी दस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। रमज़ान के आख़िरी दस दिन (जिनको अश्रा-ए-आख़ीरा कहा जाता है) उनमें एतिकाफ़ भी किया जाता है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर साल इन दिनों का एतिकाफ़ फ़रमाते थे और आपकी बीवियाँ भी एतिकाफ़ करती थीं। आपकी वफ़ात के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवियों ने एतिकाफ़ की पाबन्दी की, जैसा कि ऊपर हदीस में ज़िक्र हुआ। यह हम बार-बार लिख चुके हैं कि नुबुव्वत के ज़माने की औरतें नेकियाँ कमाने की धुन में पीछे न रहती थीं।

एतिकाफ़ में बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसमें इनसान यक्सू होकर अपने अल्लाह से लौ लगाये रहता है, और चूँकि रमज़ान की आख़िरी

दस रातों में कोई न कोई रात शबे-क़द्र भी होती है इसलिये एतिकाफ़ करने वाले को उमूमन वह भी नसीब हो जाती है।

मर्द ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करें जिसमें पाँचों वक़्त जमाअत से नमाज़ होती हो, और औरतें अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ करें, अपने घर में जो जगह नमाज़ के लिये मुक़र्रर कर रखी हो उनके लिये वही मस्जिद है, औरतें उसी में एतिकाफ़ करें।

रमज़ान की बीसवीं तारीख़ का सूरज छुपने से पहले एतिकाफ़ की जगह में दाख़िल हो जायें और ईद का चाँद नज़र आने तक एतिकाफ़ की नीयत से औरतें घर की मस्जिद में और मर्द पंज-वक़्ता नमाज़ बा जमाअत वाली मस्जिद में जमकर रहें, इसी को एतिकाफ़ कहते हैं। जमकर रहने का मतलब यह है कि ईद का चाँद नज़र आने तक मस्जिद ही की हद में रहे, वहीं सोये, वहीं खाये, कुरआन पढ़े, नफ़्लें पढ़े, तसबीहों में मशग़ूल रहे, जहाँ तक मुमकिन हो रातों को जागे और इबादत करे, ख़ासकर जिन रातों में शबे-क़द्र की उम्मीद हो उन रातों में रात को जागने की ख़ास पाबन्दी करे।

मसलाः एतिकाफ़ में मियाँ-बीवी के ख़ास ताल्लुक़ात वाले काम जायज़ नहीं हैं, न रात में न दिन में, और पेशाब पाख़ाने के लिये एतिकाफ़ की जगह से निकलना दुरुस्त है।

मसलाः यह जो मशहूर है कि जो एतिकाफ़ में हो वह किसी से न बोले-चाले यह ग़लत है, बल्कि एतिकाफ़ में बोलना-चालना अच्छी बातें करना, किसी को नेक बात बता देना और बुराई से रोक देना, बाल बच्चों और नौकरों व नौकरानियों को घर का काम-काज बता देना यह सब दुरुस्त है। और औरत के लिये इसमें आसानी भी है कि अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से बैठी रहे और वहीं से बैठे-बैठे घर का काम-काज बताती रहे।

मसलाः अगर एतिकाफ़ में औरत को माहवारी शुरू हो जाये तो उसका एतिकाफ़ वहीं ख़त्म हो गया। रमज़ान के आख़िरी दशक के एतिकाफ़ में अगर ऐसा हो जाये तो किसी आलिम से मसाइल मालूम करके क़ज़ा कर लें।

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि एतिकाफ़ मोतकिफ़ (एतिकाफ़ करने वाले) को गुनाहों से रोकता है और उसके लिये (उन) सब नेकियों का सवाब (भी) जारी रहता है (जिन्हें एतिकाफ़ के सबब अन्जाम देने से मेहरूम रहता है)। (मिश्कात शरीफ़)

फ़ायदाः जिस दिन सुबह को ईद या बक़र-ईद हो उस रात को भी ज़िक्र, इबादत और नफ़िल नमाज़ से ज़िन्दा रखने की फ़ज़ीलत आयी है। हदीस शरीफ़ में है कि जिसने दोनों ईदों की रातों को इबादत के ज़रिये ज़िन्दा रखा, उस दिन उसका दिल मुर्दा न होगा जिस दिन दिल मुर्दा होंगे, (यानी क़ियामत के दिन)। (अत्तरग़ीब वत्तरहीब)

आख़िरी रात की बख़्शिशें

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान की आख़िरी रात में उम्मते मुहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह! क्या इससे शबे-क़द्र मुराद है? फ़रमाया नहीं! (यह फ़ज़ीलत आख़िरी रात की है, शबे-क़द्र की फ़ज़ीलतें इसके अलावा हैं)। बात यह है कि अमल करने वाले का अज्र उस वक़्त पूरा दे दिया जाता है जब वह काम पूरा कर देता है (और आख़िरी रात में अमल पूरा हो जाता है लिहाज़ा बख़्शिश हो जाती है)। (मिश्कात शरीफ़)

ईद का दिन

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब शबे-क़द्र होती है तो जिबराईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की एक जमाअत के साथ उतरते हैं जो हर उस बन्दे के लिए खुदा तआला से रहमत की दुआ करते हैं जो खड़े बैठे अल्लाह तआला का ज़िक्र कर रहा हो। फिर जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र से फ़रमाते हैं (कि देखो इन लोगों ने एक माह के रोज़े रखे और हुक्म माना) और फ़रमाते हैं कि ऐ मेरे फ़रिश्तो! उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने अमल पूरा कर दिया हो? वे अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब! उसक बदला यह है कि उसका अज्र पूरा दे दिया जाये, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं ऐ मेरे फ़रिश्तो! मेरे बन्दों और बन्दियों ने मेरा फ़रीज़ा पूरा कर दिया जो उनपर लाज़िम था, और अब दुआ में गिड़गिड़ाने के लिए निकले हैं, क़सम है मेरी इज़्ज़त व जलाल की और करम की और मेरी किबरियाई और बुलन्दी की, मैं ज़रूर उनकी दुआ क़बूल करूँगा। फिर (बन्दों को) अल्लाह तआला का इरशाद होता है कि मैंने तुमको बख़्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया, लिहाज़ा उसके बाद (ईदगाह से) बख़्शे-बख़्शाये वापस होते हैं। (बैहक़ी)

मसला: ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। आज के दिन रोज़ा न रखना इबादत है।

सदक़ा-ए-फ़ित्र

ईद के दिन सदक़ा-ए-फ़ित्र भी अदा करें, जो निसाब के बक़द्र माल का मालिक हो उसपर वाजिब है। हदीस शरीफ़ में है कि सदक़ा-ए-फ़ित्र रोज़ों को बेकार और गन्दी बातों से पाक करने के लिए और मिस्कीनों की रोज़ी के लिए मुक़र्रर किया गया है। (अबू दाऊद)

सदक़ा-ए-फ़ित्र के मसाइल ज़कात के बयान में गुज़र चुके हैं।

किन लोगों को रमज़ान का रोज़ा छोड़कर बाद में रखने की इजाज़त है

हदीसः (8) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर के लिए नमाज़ का एक हिस्सा माफ़ फ़रमा दिया है और रमज़ान के रोज़े न रखने की भी मुसाफ़िर को इजाज़त दी है। और इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत और हमल वाली (गर्भवती) औरत को इजाज़त है कि रोज़ा न रखे। (और बाद में क़ज़ा कर ले)। (मिश्कात शरीफ़ पेज 178 जिल्द 1)

तशरीहः रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है और जो फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने का जुर्म करे वह फ़ासिक़ है।

बीमारः अलबत्ता जो शख़्स ऐसा बीमार हो कि रोज़ा रखने से उसकी जान पर बन आने का प्रबल अन्देशा हो या जो सख़्त बीमारी में मुब्तला हो और रोज़े रमज़ान में न रखे और उसके बाद जब अच्छा हो जाये क़ज़ा रख ले, यह कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आम तौर से लोग न जानते हों, लेकिन इसमें बहुत-सी ग़लतियाँ होती हैं- **पहली** यह कि मामूली बीमारी में रोज़ा छोड़ देते हैं अगरचे उस बीमारी के लिए रोज़ा नुक़सानदेह भी न हो। **दूसरी** यह कि फ़ासिक़ और बे-दीन बल्कि बद्-दीन डाक्टरों के क़ौल का एतिबार कर लेते हैं। डाक्टर कह देते हैं कि रोज़ा न रखियेगा। उन डाक्टरों को रोज़ों की न क़ीमत मालूम है न शरई मसले की सही सूरत का इल्म है। न ख़ुद रोज़ा रखने की आदत है न उनके दिल में किसी मोमिन के रोज़े का दर्द है। ऐसे लोगों के क़ौल का कोई एतिबार नहीं है। चूँकि उमूमन डाक्टर आजकल फ़ासिक़ ही हैं इसलिए मरीज़ को अपनी ईमानी

समझ-बूझ से और किसी ऐसे डाक्टर से मश्विरा करके फ़ैसला करना चाहिये जो ख़ुदा का ख़ौफ़ रखता हो, और जो शरई मसले से वाक़िफ़ हो। **तीसरी** यह कोताही आम है कि बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं और फिर रखते ही नहीं, और बहुत बड़ी गुनाहगारी का बोझ लेकर क़ब्र में चले जाते हैं।

मुसाफ़िरः मुसाफ़िर जो क़स्र की दूरी के इरादे से अपने शहर या बस्ती से निकला, जब तक सफ़र में रहेगा मर्द हो या औरत चार रकअ़तों वाली नमाज़ों की जगह दो रकअ़तें फ़र्ज़ पढ़ेगा। हाँ! अगर किसी ऐसे इमाम के पीछे जमाअ़त में शरीक हो जाये जो मुसाफ़िर न हो तो पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। और अगर किसी जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत कर ली तो मुसाफ़िर के हुक्म में नहीं रहेगा और पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। क़स्र की दूरी **48** मील है, इतनी दूर का इरादा करके रवाना हो जाने पर शरई मुसाफ़िर है जबकि अपने वतन से निकल जाये, इतनी दूर का मुसाफ़िर चाहे पैदल सफ़र करे चाहे बस से चाहे हवाई जहाज़ से या और किसी तेज़ रफ़्तार सवारी से, शरई मुसाफ़िर माना जायेगा। शरीअ़त ने नमाज़े क़स्र की बुनियाद क़स्र की दूरी पर रखी है अगरचे तकलीफ़ न हो तब भी **48** मील का मुसाफ़िर चार रकअ़त वाले फ़र्ज़ की जगह दो रकअ़तें पढ़ेगा। अगर पूरी चार रकअ़तें पढ़ ले तो बुरा किया। यह मसला नमाज़े क़स्र के बयान में भी गुज़र चुका है यहाँ रोज़े के बारे में सफ़र की दूरी बताने के अन्तर्गत दोहरा दिया गया है।

मसलाः जिस मुसाफ़िर के लिए चार रकअ़त वाली फ़र्ज़ नमाज़ की जगह दो रकअ़त पढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए यह भी जायज़ है कि रमज़ान शरीफ़ के मौक़े पर सफ़र में हो तो रोज़ा न रखे और बाद में घर आकर छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले। चाहे हवाई जहाज़ या

मोटर कार से सफ़र किया हो और चाहे कोई तकलीफ़ महसूस न होती हो। अगर किसी जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत कर लेगा तो मुसाफ़िर न होगा, जैसा कि ऊपर बयान हुआ। यह बात क़ाबिले ज़िक्र है कि बहुत-से लोग जिस तरह बीमारी की हालत में रोज़ा छूट जाने पर बाद में क़ज़ा नहीं रखते उसी तरह बहुत-से लोग सफ़र में रोज़े छोड़कर बाद में घर आकर क़ज़ा नहीं रखते और गुनाहगार मरते हैं। क़ुरआन मजीद में इरशाद है:

فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

तर्जुमाः जो शख़्स इस माह में मौजुद हो वह ज़रूर इसमें रोज़ा रखे और जो शख़्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों का शुमार रखना है। अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे साथ आसानी करना मन्ज़ूर है और तुम्हारे साथ दुश्वारी मन्ज़ूर नहीं।

इस आयत से मालूम हुआ कि बीमार और मुसाफ़िर से रोज़ा माफ़ नहीं है, अलबत्ता अल्लाह तआ़ला ने उसको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दे दी है लेकिन बाद में छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ न हो तो रमज़ान ही में रोज़ा रख लेना बेहतर और अफ़ज़ल है। क़ुरआन मजीद में इरशाद है:

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

यानी अगरचे बीमारी और सफ़र में बाद में रखने की नीयत से रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है लेकिन रमज़ान ही में रोज़ा रख लेना बेहतर है।

और वजह इसकी यह है कि अव्वल तो रमज़ान की बरकत और नूरानियत से मेहरूमी न होगी। दूसरे सब मुसलमानों के साथ मिलकर

रोज़ा रखने में आसानी भी होगी और बाद में तन्हा रोज़े रखना मुश्किल होगा।

मसला: 48 मील से कम सफ़र में रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं।

दूध पिलाने वाली: जिस तरह बीमार और मुसाफ़िर को रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है (जिसकी शर्तें ऊपर लिखी गयीं) उसी तरह दूध पिलाने वाली औरत के लिए भी जायज़ है कि रमज़ान में रोज़ा न रखे और बाद में क़ज़ा कर ले। अगर बच्चा माँ के दूध के अलावा दूसरी ग़िज़ा के ज़रिये गुज़ारा कर सकता हो, जैसे ऊपर का दूध पीने से या दलिया चावल वग़ैरह खाने से बच्चे की ग़िज़ा का काम चल सकता है तो दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा छोड़ना हराम है। और यह मसला भी बच्चे की उम्र दो साल होने तक है, जब बच्चे की उम्र दो साल हो जाए तो उसको औरत का दूध पिलाना ही मना है, उसमें रोज़ा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

मसला: दूध पिलाने वाली को ज़िक्र हुई शर्त के साथ रमज़ान का रोज़ा न रखना उस सूरत में जायज़ है जबकि बच्चे का बाप दूसरी औरत को मुआवज़ा देकर दूध पिलाने से आजिज़ हो या वह बच्चा माँ के अलावा किसी दूसरी औरत का दूध लेता ही न हो।

हामिला: जो औरत हमल (गर्भ) से हो उसको भी रमज़ान शरीफ़ में रोज़े छोड़ने की इजाज़त है, फ़ारिग़ होने के बाद छोड़े हुए रोज़े रख ले, मगर शर्त वही है कि रोज़े रखने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पड़ने या अपने बच्चे की जान का अन्देशा हो।

फ़िदये का हुक्म

वह औरत या मर्द जो मुस्तक़िल ऐसा बीमार हो कि रोज़ा रखने से जान पर बन आने का सख़्त ख़तरा हो और ज़िन्दगी में अच्छा होने

की उम्मीद ही न हो, या वह मर्द व औरत जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है रोज़े रख ही नहीं सकता, और रोज़े पर क़ादिर होने की कोई उम्मीद नहीं, ये लोग रोज़े के बजाए फ़िदया दें, लेकिन बाद में कभी रोज़े रखने के क़ाबिल होंगे तो गुज़रे हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी और आइन्दा रोज़े रखने होंगे, और जो फ़िदया दिया है वह सदक़े में शुमार होगा।

मसला: हर रोज़े का फ़िदया यह है कि एक किलो 633 ग्राम गेहूँ या उसकी क़ीमत किसी मिस्कीन को दे, या हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को सुबह-शाम पेट भरकर खाना खिला दे।

माहवारी वाली औरत न रोज़ा रखे न नमाज़ पढ़े लेकिन बाद में रोज़ों की क़ज़ा करे

हदीस: (9) हज़रत मुआज़ा फ़रमाती हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि यह क्या बात है कि (रमज़ान के महीने में) किसी औरत को हैज़ (माहवारी) आ जाये तो (उन दिनों के) रोज़ों की क़ज़ा रखती है और (उमूमन हर महीने हैज़ आता रहता है रमज़ान हो या ग़ैर-रमज़ान उन दिनों की) नमाज़ों की क़ज़ा नहीं पढ़ती (यह नमाज़ और रोज़े में फ़र्क़ क्यों है)। यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया क्या तू नैचरी हो गयी है? (जो शरीअत के अहकाम में टाँग अड़ाती है)। मैंने कहा मैं नैचरी नहीं हूँ सिर्फ़ मालूम कर रही हूँ। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि हम तो इतनी बात जानते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मौजूदगी में हमको हैज़ (माहवारी) आता था तो नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म न दिया जाता था और रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म होता था। (मुस्लिम शरीफ़ पेज 153 जिल्द 1)

तशरीहः हज़रत मुआज़ा एक ताबिई औरत थीं, बड़ी आलिमा फ़ाज़िला थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ख़ास शार्गिदी का शर्फ़ हासिल है। उन्होंने हज़रत आयशा से ऊपर ज़िक्र शुदा सवाल किया तो उन्होंने उनसे पूछा "क्या तू हरूरिय्यह हो गयी है?" हरूर एक गाँव था वहाँ ख़ारजियों का जमावड़ा था। ये लोग दीन और शरीअत को अपनी अक़्ल के मेयार से जाँचने की कोशिश करते थे और अपनी समझ की तराज़ू में तौलते थे। इसी लिये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत मुआज़ा से फ़रमाया कि तू दीन में अपनी अक़्ल का दख़ल दे रही है। यह तो उन लोगों का तरीक़ा है जो हरूर बस्ती में रहते हैं, इसी लिये हमने इस लफ़्ज़ का तर्जुमा लफ़्ज़ "नैचरी" से कर दिया है। बहुत-से लोग दीन को अपनी अक़्ल की कसौटी पर परखना चाहते हैं और समझ में नहीं आता तो इनकारी होते हैं या एतिराज़ करते हैं। ऐसे लोग हमारे बुज़ुर्गों की ज़बान में नैचरी कहलाते हैं क्योंकि अपने नैचर की पंचर दीन में लगाने की नापाक कोशिश करते हैं। दर हक़ीक़त यह एक बहुत बड़ा रोग है जो दिल में हक़ीक़ी ईमान को जमने और मज़बूत होने नहीं देता।

शरीअत के अहकाम को हिक्मत और वजह मालूम किये बग़ैर मानना लाज़िम है

अहकाम की हिक्मतें मालूम करने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन हिक्मत समझ में न आये तो हुक्म ही को न माने और उसके ख़िलाफ़ रिसाले लिखने लगे और मज़ामीन छापने लगे, यह बहुत बड़ी जहालत है। शरीअत के किसी हुक्म की हिक्मत मालूम हो गयी तो बहुत अच्छी बात है और मालूम न हो सके या समझ में न आये तो उसको उसी तरह सच्चे दिल से मानना ज़रूरी है जैसा कि हिक्मत समझ में आने

पर मानते। और यह बात भी जान लेना चाहिए कि किसी मसले की अगर कोई हिक्मत समझ में आ जाये तो उसको यूँ न समझे कि इसकी वाक़ई और असली यही हिक्मत है, मुमकिन है कि अल्लाह तआला के नज़दीक दूसरी कोई हिक्मत हो।

जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अपनी शार्गिद मुआज़ा को तंबीह की और धमकाया तो उन्होंने जवाब दिया मैं नेचरी नहीं हूँ यानी दीन में टाँग अड़ाना मेरा मक़सद नहीं अलबत्ता हिक्मत मालूम करने को जी चहाता है, इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने हिक्मत न बताई बल्कि एक मोमिनाना मज़बूत जवाब दिया कि अ़मल करने के लिये बस इतना काफ़ी है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में हम लोगों को हैज़ आता था तो नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था और रमज़ान में हैज़ आ जाता था तो उन दिनों के रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था। दर हक़ीक़त एक मोमिन बन्दे के लिये यह जवाब बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि ज़िन्दगी का मक़सद अल्लाह के हुक्म का पालन है न कि वजह, सबब और हिक्मत की तलाश। इसलिये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने इस पर बस किया। अलबत्ता दीन इस्लाम के आ़लिमों ने इसमें एक हिक्मत यह बताई है कि नमाज़ें रोज़ाना की पाँच की तयादाद में जमा होकर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, औरत को घरेलू काम-काज और बच्चों की परवरिश के मशग़लों की वजह से इन सब की क़ज़ा पढ़ना सख़्त मुश्किल है इसलिये अल्लाह तआला ने यह करम फ़रमाया कि हैज़ (माहवारी) के ज़माने की नमाज़ों को बिल्कुल ही माफ़ फ़रमा दिया, और रोज़े चूँकि बारह महीनों में सिर्फ़ एक बार आते हैं और हैज़ की वजह से जो रोज़े छूटते हैं वे ज़्यादा होते भी नहीं उनकी क़ज़ा रख लेना

आसान है इसलिये उनकी क़ज़ा का हुक्म दिया गया है। और यह बात तो सब को मालूम है कि औरतें उमूमन रोज़े रखने में माहिर होती हैं और नमाज़ों से जान चुराती हैं। अगर माहवारी के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा लाज़िम कर दी जाती तो क़ज़ा न पढ़तीं और गुनाहगार रहतीं और अदा करना भी मुश्किल था।

कुरबान जाइये उस ज़ात के जिसने इनसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाया।

नफ़्ली रोज़ों का सवाब और औरत को शौहर की इजाज़त के बग़ैर नफ़्ली रोज़े न रखने का हुक्मः

हदीसः (10) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि औरत के लिये यह हलाल नहीं कि (नफ़िल) रोज़ा रखे जबकि उसका शौहर घर पर हो, हाँ! उसकी इजाज़त से रख सकती है। और औरत के लिये यह जायज़ नहीं है कि किसी को घर में आने की इजाज़त दे हाँ! अगर शौहर किसी के बारे में इजाज़त दे तो औरत भी इजाज़त दे सकती है। (क्योंकि मुसलमान शौहर जिसके आने की इजाज़त देगा वह औरत का मोहसिन होगा)। (मुस्लिम शरीफ़)

तशरीहः दीन इस्लाम कामिल और मुकम्मल दीन है, इसमें दोनों तरह के हुकूक़ यानी अल्लाह के हुकूक़ और बन्दों के हुकूक़ की रियायत रखी गयी है। जिस तरह अल्लाह के हुकूक़ की अदायगी इबादत है उसी तरह बन्दों के हुकूक़ का अदा करना भी इबादत है। इस हदीस पाक में बन्दों के हुकूक़ की हिफ़ाज़त करने और ख़्याल रखने की हिदायत फ़रमायी गयी है। शौहर और बीवी के एक-दूसरे पर हुकूक़ हैं और आपस में एक ऐसा ताल्लुक़ है जो रोज़े में नहीं होता।

अगर कोई औरत रोज़े पर रोज़े रखती चली जाये और शौहर के ख़ास ताल्लुक़ का ख़्याल न रखे तो गुनाहगार होगी। शौहर को खुश रखना और उसके हुक़ूक़ का ध्यान रखना भी इबादत है। बाज़ी औरतों को देखा गया है कि वे रोज़ा रखती चली जाती हैं और रोज़ाना रोज़ा रखने की आदत डाल लेती हैं। दिन में रोज़ा रात को थककर पड़ गयीं, शौहर बेचारे का कोई ध्यान नहीं। यह तरीक़ा शरीअत की निगाह में दुरुस्त नहीं है।

औरतों के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तंबीह फ़रमाई कि किसी औरत के लिये यह हलाल नहीं है कि शौहर घर पर मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बग़ैर नफ़्ली रोज़ा रखे। शौहर अगर इजाज़त दे तो नफ़्ली रोज़ा रखे। अलबत्ता रोज़ाना रोज़ा रखना फिर भी मना है।

रोज़ाना रोज़ा रखने की मनाही

नबी पाक सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसने रोज़ाना रोज़ा रखा उसने न रोज़ा रखा न बेरोज़ा रहा। (मुस्लिम शरीफ़)

मतलब यह है कि रोज़ाना रोज़ा रखने से नफ़्स को आदत हो जाती है, आदत हो जाने से मशक़्क़त नहीं होती। जब मशक़्क़त न हुई तो रोज़े का मक़सद ख़त्म हो गया। अब यूँ कहा जायेगा कि खाने-पीने के वक़्तों को बदल दिया। इस सूरत में इबादत की शान बाक़ी न रहेगी। अगर किसी से हो सके तो एक दिन रोज़ा रखे एक दिन बेरोज़ा रहे, यह बहुत फ़ज़ीलत की बात है लेकिन शर्त वही है कि शौहर की इजाज़त हो और इस क़द्र बे-ताक़त न हो जाये कि दूसरी इबादतों और हुक़ूक़ की अदायगी में फ़र्क़ आये।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े

दरजे के सहाबी थे, यह रोज़ाना रोज़ा रखते थे और रातों-रात नफ़िल पढ़ते थे। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम हुआ तो आपने फ़रमाया कि ऐसा न करो बल्कि रोज़ा भी रखो और बेरोज़ा भी रहा करो। रातों में नफ़िल नमाज़ में भी खड़े रहा करो और सोया भी करो क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है और जो लोग तुम्हारे पास आयें उनका भी तुम पर हक़ है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

इससे मालूम हुआ कि इबादत का कमाल यह है कि अपने बदन और जिस्मानी अंगों और बीवी-बच्चों और मेहमानों के हुक़ूक़ की रियायत करते हुए नफ़िल इबादत की जाये। मेहमान आया उसे नौकर चाकर के ज़रिये खाना खिलवाया या सोने लगे तो वह अकेला सो गया और घर का मालिक नमाज़ में लग गया, वह बेचारा इन्तिज़ार ही करता रहा कि दो बातें कब करूँ? यह कोई सही इबादत नहीं, अलबत्ता नफ़्स की शरारत को भी मौक़ा नहीं देना चाहिये। यानी मौक़ा होते हुए नफ़्स बहाने न निकाल ले कि आज मेहमान है कैसे नमाज़ पढ़ूँ और दो रकअत पढ़ लूँगी तो बूढ़ी हो जाऊँगी। और अगर एक नफ़िल रोज़ा रख लिया तो कमज़ोरी के पहाड़ टूट पड़ेंगे। ख़ुलासा यह कि शरीअत की हदों में नफ़्स व शैतान के क़रीब से बचते हुए नफ़िल नमाज़ें पढ़ो और नफ़िल रोज़े रखो, कुरआन की तिलावत भी करो और ज़िक्र भी करो और किसी मख़्लूक़ का वाजिब हक़ भी ज़ाया न होने दो।

फ़र्ज़ रोज़ों के अदा करने और क़ज़ा में शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं

तंबीहः फ़र्ज़ नमाज़ और फ़र्ज़ रोज़े की अदायगी में शौहर की

इजाज़त की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, वह इजाज़त न दे तब भी उनकी अदायगी फ़र्ज़ है। अगर वह इससे रोकेगा तो सख़्त गुनाहगार होगा। इसी तरह रमज़ान के जो रोज़े माहवारी की मजबूरी की वजह से रह जायें तो उनकी क़ज़ा रखना भी फ़र्ज़ है अगर शौहर रोके तब भी क़ज़ा रख ले। अगर वह रोकेगा तो सख़्त गुनाहगार होगा।

पीर और जुमेरात और चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़े

रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों के अलावा दूसरे महीनों में भी रोज़े रखना चाहिये। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है और इसका बहुत बड़ा सवाब है। ईद के महीने के छः (6) रोज़ों का ज़िक्र अगली हदीस की तशरीह (व्याख्या) में आ रहा है। पीर और जुमेरात को नफ़्ली रोज़े रखने की भी फ़ज़ीलत आयी है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किये जाते हैं लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल इस हाल में पेश किया जाये कि मैं रोज़े से हूँ। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

चाँद की तेरह, चौदह, पन्द्रह तारीख़ को रोज़ा रखने की भी बड़ाई आई है। आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन दिनों के रोज़े रखने की रग़बत दिलाई है।

बक़र-ईद की नवीं तारीख़ का रोज़ा

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं अल्लाह से पुख़्ता उम्मीद रखता हूँ कि बक़र-ईद की नवीं तारीख़ का रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह तआला एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों का कफ़्फ़ारा फ़रमा देंगे।

आशूरा का रोज़ा

और आशूरा के दिन (यानी मोहर्रम की दस तारीख़) के बारे में

अल्लाह से पुख़्ता उम्मीद रखता हूँ कि उसके रखने की वजह से एक साल पहले के गुनाहों का कफ़्फ़ारा फ़रमा देंगे। (मिश्कात शरीफ़)

बक़र-ईद की नवीं तारीख़ से पहले जो आठ दिन हैं उनका रोज़ा रखने की भी फ़ज़ीलत और बड़ाई आयी है। उन रोज़ों के अ़लावा और जिस क़द्र नफ़िल रोज़े कोई शख़्स मर्द या औ़रत रख लेगा उसके हक़ में अच्छा होगा। क़ियामत के दिन नवाफ़िल के ज़रिये फ़राईज़ की कमी पूरी की जायेगी इसलिये इस इबादत से ग़ाफ़िल न हों, लेकिन दो बातें याद रखनी चाहियें- **पहली** यह कि उस इबादत की वजह से किसी की हक़-तल्फ़ी न हो जैसे मर्द ज़्यादा नफ़्ली रोज़े रखकर इस क़द्र कमज़ोर न हो जाये कि बीवी बच्चों को कमाकर न दे सके। और **दूसरी** यह कि दूसरे हुक़ूक़ में कोताही होने लगे, जैसे कोई औ़रत रोज़े रखने की वजह से शौहर और बच्चों के हुक़ूक़ ज़ाया न कर दे।

ईद के महीने में छह रोज़े रखने की फ़ज़ीलत

हदीसः (11) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद छह (नफ़िल) रोज़े शव्वाल (यानी ईद) के महीने में रख लिये तो (पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब होगा। अगर हमेशा ऐसा ही करेगा तो) गोया उसने सारी उम्र रोज़े रखे। (मुस्लिम शरीफ़)

तशरीहः इस मुबारक हदीस में रमज़ान मुबारक गुज़रने के बाद शव्वाल के महीने में छह नफ़्ली रोज़े रखने की तरग़ीब दी गयी है और इसका बड़ा सवाब बताया गया है। सवाब देने के बारे में अल्लाह पाक ने यह मेहरबानी फ़रमायी है कि हर अ़मल का सवाब कम-से-कम दस गुना मुक़र्रर फ़रमाया है। जब किसी ने रमज़ान के तीस रोज़े रखे और

फिर छह रोज़े और रख लिये तो यह छत्तीस रोज़े हो गये। छत्तीस को दस में गुणा करने से तीन सौ साठ हो जाते हैं। चाँद के हिसाब से एक साल तीन सौ साठ दिन का होता है लिहाज़ा छत्तीस रोज़े रखने पर अल्लाह तआ़ला के नज़दीक तीन सौ साठ रोज़े शुमार होंगे और इस तरह पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। अगर हर साल कोई शख़्स ऐसा ही कर लिया करे तो वह सवाब के एतिबार से सारी उम्र रोज़े रखने वाला मान लिया जायेगा। अल्लाहु अकबर! बेइन्तिहा रहमत और आख़िरत की कमाई के अल्लाह पाक ने कैसे क़ीमती मौक़े दिये हैं।

फ़ायदा: अगर रमज़ान के रोज़े चाँद की वजह से उन्तीस ही रह जायें तब भी ये तीस ही शुमार होंगे क्योंकि हर मुसलमान की नीयत होती है कि चाँद नज़र न आये तो तीसवाँ रोज़ा भी रखेगा। इस एतिबार से उन्तीस रोज़े रमज़ान के और छह ईद के कुल पैंतीस रोज़े रखने से पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सिर्फ़ रमज़ान और छह शव्वाल के रोज़े रखने पर इस सवाब की खुशख़बरी सुनाई। लिहाज़ा हमें यह सवाल करने की ज़रूरत नहीं कि एक रोज़ा चाँद की वजह से रह गया तो सवाब पूरे साल का होगा या नहीं।

फ़ायदा: बाज़ी औरतें समझती हैं कि यह सवाब उसी वक़्त मिलेगा जबकि ईद के बाद दूसरे दिन कम-से-कम एक रोज़ा रख ले, यह ग़लत है। अगर दूसरी तारिख से रोज़े शुरू न किये और पूरे शव्वाल में छह रोज़े रख लिये तब भी सवाब मिल जायेगा।

नफ़्ली रोज़ा रखकर तोड़ देने से उसकी क़ज़ा लाज़िम होती है

हदीस: (12) हज़रत इब्ने शिहाब ज़ोहरी (ताबिई) ने बयान

फ़रमाया कि एक बार हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दो बीवियों यानी हज़रत आयशा और हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नफ़्ली रोज़ा रख लिया और उसी हाल में सुबह हो गयी। उसके बाद उनकी ख़िदमत में बतौर हदिया खाना पेश कर दिया गया जिसे उन्होंने खा लिया और रोज़ा तोड़ दिया। उसके बाद हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये। हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि हमने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मसला मालूम करने का इरादा किया और हफ़सा बात करने में मुझसे आगे बढ़ गयी और वह अपने बाप की बेटी थी (1) और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) मैंने और आयशा ने नफ़्ली रोज़ा रख लिया था, इस हाल में सुबह हुई कि हम दोनों रोज़ेदार थीं, हमारे लिये खाने का हदिया पेश किया गया हमने वह खा लिया और रोज़ा तोड़ लिया (तो अब हम क्या करें)। इसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि इस रोज़े की जगह एक रोज़ा रख लेना। (मोवत्ता इमाम मालिक)

तशरीहः नफ़िल नमाज़ हो या रोज़ा उसकी अदायगी बन्दे के ज़िम्मे लाज़िम नहीं है, लेकिन अगर कोई शख़्स नफ़िल नमाज़ शुरू करके तोड़ दे या नफ़्ली रोज़ा रखकर सूरज छुपने से पहले जान-बूझकर कुछ खा पी ले या ऐसा कोई अ़मल कर ले जिससे रोज़ा टूट जाता है तो फिर उस नमाज़ और रोज़े की क़ज़ा लाज़िम हो जाती है, और वजह इसकी यह है कि जब तक नफ़िल नमाज़ या नफ़्ली रोज़ा शुरू न किया था उस वक़्त तक वह नफ़िल था और जब शुरू

(1) इसका मतलब यह है कि हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बात करने और सवाल जवाब करने में जुर्रत रखते थे, यही हाल उनकी बेटी का था, इसी लिये उन्होंने सवाल करने की पहल कर ली।

कर दिया तो उसका पूरा करना वाजिब हो गया, क्योंकि शुरू कर लेने से नेक काम की शुरूआत हो जाती है और दरमियान में छोड़ देने से वह अमल ख़त्म हो जाता है। शुरू करने के बाद पूरा करने से पहले छोड़ देना पसन्दीदा नहीं है। कुरआन मजीद में इरशाद है:

يَـآ اَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْٓا اَطِيْـعُـوا اللّٰـهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ

तर्जुमाः ऐ ईमान वालो! फ़रमाँबरदारी करो अल्लाह की और बात मानो उसके रसूल की, और अपने आमाल ज़ाया न करो।

ऊपर जो हदीस ज़िक्र हुई उससे यह क़ानून मालूम हो गया कि नफ़िल की शुरूआत करने से वह लाज़िम हो जाता है। नमाज़ रोज़े के अलावा अगर कोई मर्द या औरत उमरे का या नफ़्ली हज का एहराम बाँध ले तो उसको भी बीच में ख़त्म कर देना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने ऐसी हरकत कर ली जिससे उमरा और हज फ़ासिद हो जाता है तो हज और उमरे की क़ज़ा लाज़िम हो गयी, और हज आईन्दा साल ही हो सकेगा, अलबत्ता उमरा पूरे साल में हो सकता है। सिर्फ़ हज के पाँच दिनों में उमरा करने की मनाही है।

मसलाः नफ़िल नमाज़ की हर दो रकअ़त अलग नमाज़ शुमार होती है। अगर चार रकअ़त की नीयत बाँधकर नमाज़ शुरू की तो जब तक तीसरी रकअ़त शुरू न कर दे दो रकअ़त का पूरा करना वाजिब होगा। लिहाज़ा अगर किसी ने चार रकअ़त नफ़िल की नीयत की, फिर दो रकअ़त पढ़कर सलाम फेर दिया तो कोई गुनाह नहीं।

मसलाः अगर किसी ने चार रकअ़त नफ़िल की नीयत बाँधी और अभी दो रकअ़तें पूरी न हुई थीं कि नमाज़ तोड़ दी तो सिर्फ़ दो रकअ़त की क़ज़ा पढ़े।

मसला: अगर चार रक्अत की नीयत बाँधी और दो रक्अतें पढ़ लीं फिर तीसरी या चौथी रक्अत में नमाज़ तोड़ दी तो अगर दूसरी रक्अत पर बैठकर उसने अत्तहिय्यात वग़ैरह पढ़ी है तो फ़क़त दो रक्अत की क़ज़ा पढ़े, और अगर दूसरी रक्अत पर नहीं बैठी अत्तहिय्यात पढ़े बग़ैर भूले से खड़ी हो गयी या जान-बूझकर खड़ी हो गयी तो पूरी चार रक्अतों की क़ज़ा पढ़े।

मसला: ज़ोहर की चार रक्अत सुन्नत की नीयत अगर टूट जाये तो पूरी चार रक्अतें फिर से पढ़े, चाहे दो रक्अत पर बैठकर अत्तहिय्यात पढ़ी हो या न पढ़ी हो।

मसला: अगर किसी औरत ने नफ़िल नमाज़ शुरू की फिर उसको नमाज़ के अन्दर वह मजबूरी शुरू हो गयी जो औरत को हर महीने पेश आती है तो नमाज़ तोड़ दे और बाद में उस नमाज़ की क़ज़ा पढ़े। इसी तरह अगर किसी औरत ने नफ़्ली रोज़ा रख लिया और कुछ वक़्त गुज़रने के बाद हर महीने वाली मजबूरी पेश आ गयी तो रोज़ा ख़त्म हो गया, पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा करे।

मसला: नफ़िल नमाज़ रोज़ा शुरू करके ख़ुद से तोड़ देना जायज़ नहीं है अगरचे इस नीयत से हो कि बाद में क़ज़ा कर लेंगे। हाँ! अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आ गया और वह अड़ गया कि जब तक मकान मालिक साथ न खाये मैं न खाऊँगा तो उसकी दिलदारी के लिये रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा रखना लाज़िम है।

अगर रोज़ेदार के पास कोई खाने लगे तो रोज़ेदार के लिये फ़रिश्ते दुआ करते हैं:

हदीस: (13) हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान

फ़रमाया कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये। मैंने आपके लिये खाना मंगाया, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम (भी) खाओ! मैंने अ़र्ज़ किया मैं रोज़े से हूँ। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक जब रोज़ेदार के पास खाया जाये तो उसके लिये फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ़ करते रहते हैं, जब तक कि खाने वाले फ़ारिग़ हों। (मिश्कात शरीफ़)

तशरीहः रोज़ा खुद सब्र का नाम है। इनसान जब रोज़े की नीयत कर लेता है तो यह तय कर लेता है कि सूरज छुपने तक कोई चीज़ नहीं खाऊँगा। फिर जब रोज़ेदार के सामने कोई शख़्स खाने लगे तो रोज़ेदार के सब्र की और ज़्यादा फ़ज़ीलत बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे को खाता देखकर जो नफ़्स में खुसूसी तक़ाज़ा पैदा होता है वह उसको दबाता है और रोज़ा पूरा किये बग़ैर कुछ नहीं खाता-पीता, उसके इस खुसूसी सब्र की वजह से यह खुसूसी फ़ज़ीलत दी गयी कि खाने वाला जब तक उसके पास खाये उसके लिये फ़रिश्ते बख़्शिश की दुआ़ करते रहते हैं।

फ़ायदाः हज़रत उम्मे अ़म्मारा (अ़म्मारा की वालिदा) रज़ियल्लाहु अ़न्हा बड़ी फ़ज़ीलतों वाली सहाबिया हैं जिनसे ऊपर वाली हदीस की रिवायत की गयी है। उन्होंने जिहादों में भी शिरकत की। अपने शौहर ज़ैद बिन आ़सिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साथ उहुद की लड़ाई में शरीक हुईं, फिर बैअ़ते रिज़वान में शरीक हुईं। फिर यमामा की जंग में शिरकत की और दुश्मनों से ऐसी लड़ाई लड़ी कि खुद उनके अपने जिस्म में बारह जगह ज़ख़्म आ गये। बहुत-से लोगों ने उनसे हदीस की रिवायत की है। रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा

शाबान के महीने के रोज़े और दूसरे आमाल

शाबान के महीने में रोज़ों की कसरत

हदीसः (14) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लगातार (नफ़्ली) रोज़े रखते चले जाते थे यहाँ तक कि हमें ख़्याल होने लगता था कि अब आप बे-रोज़ा नहीं रहेंगे। और जब रोज़े रखना छोड़ते तो इतने दिन छोड़ते चले जाते थे कि हमें ख़्याल गुज़रने लगता था कि अब आप नफ़्ली रोज़े नहीं रखेंगे। और फ़रमाती हैं कि मैंने नहीं देखा कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों सिवाय रमज़ान के महीने के, और मैंने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नहीं देखा कि शाबान के महीने से ज़्यादा किसी दूसरे महीने में (नफ़्ली) रोज़े रखे हों। और एक रिवायत में है कि आप चन्द दिनों के अलावा पूरे शाबान महीने के रोज़े रखते थे। (मिश्कात शरीफ़)

शबे बरात में रहमत व मग़फ़िरत की बारिश और ख़ास-ख़ास गुनाहगारों की बख़्शिश न होना

हदीसः (15) हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला शाबान की पन्द्रहवीं रात को अपनी तमाम मख़्लूक़ की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं और पूरी मख़्लूक़ की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं लेकिन मुश्रिक और कीना-कपट रखने वाला नहीं बख़्शा जाता। (तिबरानी व इब्ने हब्बान) बैहक़ी की रिवायत में यह भी है कि रिश्ता तोड़ने वाले और तहबन्द या पाजामा टख़्नों से नीचे लटकाने वाले और शराब की आदत रखने वाले और किसी का नाहक़ क़त्ल करने वाले

की (भी) इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती।

(अत्तरग़ीब वत्तरहीब पेज 80 जिल्द 2)

हदीसः (16) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि एक बार रात को (सोते-सोते मेरी आँख खुली तो) हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को घर में न पाया (आपकी तलाश करने के लिये निकली तो) आप बक़ीअ़ यानी मदीना मुनव्वरा के क़ब्रिस्तान में मिले। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया क्या तुझे इस बात का ख़तरा गुज़रा कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे यानी रसूलुल्लाह तेरी बारी की रात होते हुए किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गये होंगे। मैंने अ़र्ज़ किया हाँ! मुझे तो यही ख़्याल गुज़रा कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गये। आपने फ़रमाया (मैं किसी के पास नहीं गया, यहाँ बक़ीअ़ आया हूँ, यह दुआ़ करने की रात है क्योंकि) बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू शाबान के महीने की पन्द्रहवीं तारीख़ की रात को क़रीब वाले आसमान की तरफ़ ख़ुसूसी तवज्जोह फ़रमाते हैं और क़बीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तायदाद में लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं।

(मिश्कात शरीफ़ पेज 115)

शबे बरात में आईन्दा साल के फ़ैसले

हदीसः (17) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि तुम जानती हो इस रात में यानी माह शाबान की पन्द्रहवीं रात में क्या होता है? अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! इरशाद फ़रमाइये क्या होता है। फ़रमाया इस रात में हर ऐसे बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में पैदा होने वाला है, और हर उस शख़्स का नाम

लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में मरने वाला है। (अल्लाह को तो सब पता है अलबत्ता इन्तिज़ाम में लगने वाले फ़रिश्तों को इस रात में उन लोगों की फ़ेहरिस्त दे दी जाती है) और इस रात में नेक आमाल ऊपर उठाये जाते हैं (यानी मक़बूलियत के दरजे में ले लिये जाते हैं) और इस रात में लोगों के रिज़्क़ नाज़िल होते हैं।

हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! यही बात है ना कि जन्नत में कोई भी दाख़िल न होगा मगर अल्लाह तआला की रहमत से, आपने तीन बार फ़रमाया हाँ! कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह तआला की रहमत के बग़ैर जन्नत में दाख़िल हो जाये। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! और आप (भी) अल्लाह की रहमत के बग़ैर जन्नत में न जायेंगे? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सर पर हाथ रख लिया और फ़रमाया कि मैं भी जन्नत में न जाऊँगा मगर इस तरह से कि अल्लाह तआला मुझे अपनी रहमत में ढाँप ले। तीन बार यही फ़रमाया।

(मिश्कात, शरीफ़ पेज 115)

रात को दुआ और इबादत और दिन को रोज़ा

हदीसः (18) हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब शाबान की पन्द्रहवीं रात हो तो उस रात को नमाज़ में खड़े हो और रात गुज़ारने के बाद सुबह को नफ़्ली रोज़ा रखो, इसलिये कि अल्लाह तआला इस रात में सूरज छुपने के वक़्त ही से क़रीब वाले आसमान की तरफ़ ख़ुसूसी तवज्जोह फ़रमाते हैं, और फ़रमाते हैं कि क्या कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ, क्या कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है जिसको मैं रिज़्क़ दूँ। क्या कोई मुसीबत का

मारा है जिसे में चैन-सुकून दूँ। और इसी तरह फ़रमाते रहते हैं कि क्या कोई फ़लाँ चीज़ माँगता है, क्या कोई फ़लाँ चीज़ माँगता है, सुबह सादिक़ होने तक ऐसा ही फ़रमाते रहते हैं।

(मिश्कात शरीफ़ पेज 115)

रिवायतों का ख़ुलासा और शबे बरात के आमाल

इन दो रिवायतों से यह बात मालूम हुई कि:

(1) शाबान के महीने में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दूसरे महीनों के मुक़ाबले में नफ़्ली रोज़े ज़्यादा रखा करते थे बल्कि दो चार दिन छोड़कर यह माह नफ़्ली रोज़ों में गुज़ारते थे।

(2) शाबान की पन्द्रहवीं रात नफ़्ली नमाज़ों में गुज़ारनी चाहिये।

(3) शाबान की पन्द्रहवीं तारीख़ को रोज़ा रखना चाहिये।

(4) इस रात में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ब्रिस्तान तशरीफ़ ले गये मगर वहाँ न मेला लगा न चिराग़ जलाया न बहुत-से लोग गये।

(5) शाबान की पन्द्रहवीं रात में क़रीब वाले आसमान की जानिब ख़ुदा तआ़ला की ख़ास तवज्जोह होती है और भारी तायदाद में गुनाहगारों की बख़्शिश कर दी जाती है, लेकिन इन लोगों की बख़्शिश नहीं होती- कीना रखने वाला, रिश्ता और ताल्लुक़ात तोड़ने वाला, तहबन्द या पाजामा टख़्नों से नीचे लटकाने वाला, माँ-बाप की नाफ़रमानी करने वाला, शराब की आ़दत रखने वाला, किसी का नाहक़ क़त्ल करने वाला।

साथ ही हदीस की रिवायतों से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला शाबान की पन्द्रहवीं रात में आने वाले साल के पैदा होने वालों और मरने वालों के बारे में फ़ैसला फ़रमाते हैं। अल्लाह को तो हमेशा

से ही मालूम है कि कब किसकी मौत व ज़िन्दगी होगी, लेकिन इस रात में फ़रिश्तों को मरने-जीने वालों की फ़ेहरिस्त दे दी जाती है और इस रात में नेक आमाल कुबूलियत के दरजे में उठा लिये जाते हैं, और इस रात में रिज़्क़ भी नाज़िल होते हैं। (यानी कितना रिज़्क़ साल भर में किसको मिलेगा इसका इल्म फ़रिश्तों को दे दिया जाता है)।

इसके अ़लावा हदीस की रिवायतों से यह भी मालूम हुआ कि इस रात में अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि है कोई जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे? मैं उसे रिज़्क़ दूँ। है कोई मुसीबत में मुब्तला जिसे मैं आफ़ियत दूँ। है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसे मैं बख़्श दूँ! वग़ैरह।

हदीस की रिवायतों से शाबान के महीने और इस महीने की पन्द्रहवीं रात और पन्द्रहवें दिन के बारे में जो कुछ मालूम हुआ उसका खुलासा अभी आपके सामने लिख दिया गया। मोमिन बन्दों को चाहिये कि शाबान के पूरे महीने में ख़ूब ज़्यादा नफ़्ली रोज़े रखें और पन्द्रहवीं रात ज़िक्र दुआ और नमाज़ में गुज़ारें और पन्द्रहवीं तारीख़ को रोज़ा रखें।

कोई मर्द क़ब्रिस्तान में चला जाये तो वह भी ठीक है मगर इजतिमाई (सामूहिक) तौर पर न जाये, न चिराग़ जलाये।

शाबान की पन्द्रहवीं रात में जो बिद्अ़तें और खुराफ़ात अन्जाम दी जाती हैं उनका बयान

इस मुबारक रात के फ़ज़ाइल व बरकतें लिखने के बाद अफ़सोस के साथ लिखना पड़ता है कि आज हमारे ग़लत आमाल ने इसके सवाब को अ़ज़ाब से और बरकतों को दीनी और दुनियावी नुक़सान से बदल दिया है, और हमने बरकत वाली रात को पूरी तरह गुनाह और मुसीबत बना लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की

ज़िन्दगी का पाक नमूना छोड़कर क़िस्म-क़िस्म की बिद्अ़तें और तरह-तरह की रस्में ईजाद कर ली गयी हैं जिनको फ़राईज़ की तरह पाबन्दी से अदा किया जाता है जिनमें से बाज़ी ये हैं:

आतिशबाज़ी और रोशनी

यह रस्म न सिर्फ़ एक बे-लज़्ज़त गुनाह है बल्कि इसकी दुनियावी तबाहियाँ भी आँखों के सामने आती हैं। इसमें एक तो अपने माल को ज़ाया करना है और बेजा फ़ुज़ूल ख़र्ची है जो बरबादी का ज़रिया है। क़ुरआन मजीद में इरशाद है:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ

तर्जुमाः बेशक फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं।

और इरशाद है:

وَلَا تُسْرِفُوْا ، اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

तर्जुमाः और फ़ुज़ूल ख़र्ची न करो क्योंकि बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता।

जिस क़ौम की आर्थिक हालत नाज़ुक और ख़तरनाक हो और ग़रीबी ने दूसरी क़ौमों का ग़ुलाम बना रखा हो उसका इतना रुपया-पैसा इस तरह फ़ुज़ूल और बेहूदा रस्म में ज़ाया हो तो उसकी क़ौमी ज़िन्दगी की तरक़्क़ी की क्या उम्मीद की जा सकती है? हर साल इस रात में यह ग़रीब व मुफ़लिस क़ौम लाखों रुपया आतिशबाज़ी अनार और पटाख़े वग़ैरह छोड़ने पर ख़र्च कर देती है और गाढ़ी कमाई को आग में झोंक करके मुबारक रात की बरकतों को भस्म कर डालती है। यह अमल शरीअ़त के ख़िलाफ़ होने के साथ-साथ अ़क़्ल के भी ख़िलाफ़ है।

बच्चों को आतिशबाज़ी फुलझड़ी अनार पटाख़े छोड़ने के लिये पैसे

दिये जाते हैं और उनको बचपन ही से खुदा तआला के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) की मश्क़ कराई जाती है। बहुत-से बड़े और बच्चे जल जाते हैं बल्कि बाज़ मर्तबा दुकानों और मकानों तक में आग लग जाती है, फिर भी यह बुरी रस्म नहीं छोड़ते। अल्लाह समझ दे।

बहुत-सी मस्जिदों और घरों में ज़रूरत से ज़्यादा चिराग़ जलाये जाते हैं, कुमकुमे रोशन किये जाते हैं, लाईट का इज़ाफ़ा किया जाता है, बहुत ज़्यादा रोशनी की जाती है, घरों से बाहर दरवाज़ों पर कई-कई चिराग़ रोशन किये जाते हैं, और बाज़ जगह मकानों की मुन्डेरों पर और दीवारों पर क़तार के साथ चिराग़ जलाकर रख दिये जाते हैं। यह सब फ़ुज़ूल ख़र्ची है जिसके बारे में क़ुरआन का हुक्म अभी ऊपर मालूम हो चुका है।

यह चिराग़ाँ हिन्दुस्तान के मुश्रिकों और हिन्दुओं की दीवाली की नक़ल है और सख़्त हराम है। आग से खेलना और आग का शौक़ रखना आतिश-परस्तों (आग को पूजने वालों) के यहाँ से चला है। बाज़ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है कि यह शबे बरात में ज़्यादा रोशनी करने का सिलसिला बरामिका से शुरू हुआ है। ये लोग पहले आतिश-परस्त थे, जब इस्लाम के नामलेवा बने तो उन्होंने उस वक़्त भी यह रस्म जारी रखी ताकि मुसलमानों के साथ नमाज़ पढ़ते वक़्त आग सामने रहे। कैसे अफ़सोस की बात है कि मुसलमानों ने आतिश-परस्तों (आग को पूजने वालों) की चीज़ अपना ली।

अजीब बात है कि आसमान से रहमतों का नुज़ूल होता है और नीचे रहमतों का मुक़ाबला आतिशबाज़ी और फ़ुज़ूल ख़र्ची और तरह तरह के गुनाहों के ज़रिये किया जाता है। अल्लाह का इरशाद होता है, कोई है जो मुझसे माँगे? और यहाँ माँगने के बजाय बुराई, गुनाह और खेल-तमाशे में गुज़ारते हैं।

मस्जिदों में इकट्ठा होना

रात को जागने के लिये अगर इत्तिफ़ाक़न दो-चार आदमी मस्जिद में इकट्ठे हो गये और अपनी नमाज़ व तिलावत में मशग़ूल रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाज़ शहरों में इसको भी इस हद तक पहुँचा दिया गया है कि इसको रोकने की ज़रूरत है- जैसे बुला-बुलाकर पाबन्दी से लोगों को जमा करते हैं, शबीना करते हैं जिसमें नवाफ़िल जमाअ़त के साथ पढ़े जाते हैं जो नाजायज़ है। मर्द व औ़रत और बच्चे आते हैं और शोर-शराबा होता है, बे-पर्दगी होती है हालाँकि औ़रतों को फ़र्ज़ नमाज़ के लिये भी मस्जिद जाने से रोका गया है फिर नफ़्लें पढ़ने के लिये जाने की गुंजाइश कैसे हो सकती है। हज़रते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम जिनसे ज़्यादा इबादत का कोई शौक़ीन नहीं हो सकता कभी इस तरह जमा न हुए थे। ग़फ़लत और जहालत की वजह से बहुत-सी बातें मसाजिद के आदाब के ख़िलाफ़ हो जाती हैं और अल्लाह के फ़रिश्तों की तकलीफ़ का सबब होकर बजाय नफ़े के नुक़सान और घाटे का सबब बन जाती हैं। इन सब बिद्अ़तों और नाजायज़ बातों में मशग़ूल होने से बेहतर है कि आदमी पैर फैलाकर सो जाये।

हलवे की रस्म

इसको ऐसा लाज़िम कर लिया गया है कि इसके बग़ैर शबे बरात ही नहीं होती, फ़राईज़ व वाजिबात के छोड़ देने पर इतना अफ़सोस नहीं होता जितना हलवा न पकाने पर होता है। और जो शख़्स नहीं पकाता उसको कंजूस वहाबी बख़ील वग़ैरह के अलक़ाब दिये जाते हैं। एक ग़ैर ज़रूरी चीज़ को फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जा देना गुनाह और बिद्अ़त है। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम के जब दाँत मुबारक शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हलवा खाया था यह उसकी यादगार है। और कोई कहता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस तारीख़ में शहीद हुए थे उनके लिये सवाब पहुँचाना है। अव्वल तो सिरे से यही ग़लत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दाँत मुबारक इन दिनों में शहीद हुए थे या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस तारीख़ में शहीद हुए, क्योंकि दोनों हादसे शव्वाल के महीने में पेश आए हैं, फिर अगर मान लो कि शाबान में होने का सुबूत ख़्वाह-मख़्वाह मान भी लिया जाये तब भी इस किस्म की यादगारें बग़ैर किसी शरई हुक्म के क़ायम करना बिद्अ़त और नाजायज़ है। और यह अ़जीब तरह का सवाब पहुँचाना है कि ख़ुद ही पकाया और ख़ुद ही खा गये, या दो-चार अपने यार-दोस्तों को खिला दिया।

ग़रीब और मिस्कीन लोग जो ख़ैरात के असल हक़दार हैं वे यहाँ भी देखते ही रह जाते हैं, किसी फ़क़ीर को एक चपाती और ज़रा-सा हलवा देकर पूरे हलवे के सवाब पहुँचने का यक़ीन कर लेते हैं और यह बात भी अ़जीब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तो (अगर मान लो) दाँत मुबारक शहीद होने की वजह से हलवा खाया मगर नालायक़ उम्मती बग़ैर किसी दुख-दर्द के हलवा उड़ा रहे हैं। अल्लाह तआ़ला ही समझ दे। "अल्-मदख़ल" किताब के मुसन्निफ़ इस रात की फ़ज़ीलत बयान करने के बाद कहते हैं:

तर्जुमाः फिर कुछ लोग (बिद्अ़ती मिज़ाज के) आ गये, जिन्होंने असल सूरत को उलट दिया, जैसा कि शबे बरात के अ़लावा दूसरे उमूर में भी उन्होंने ऐसा किया है जिसका नतीजा यह है कि जो भी मुबारक ज़माना ऐसा है जिसकी बरकतें हासिल करने की और अल्लाह तआ़ला की रहमतें लेने की शरीअ़त ने तरग़ीब दी है, शैतान ने अपनी

तमाम कोशिशें और मक्कारियाँ इस पर ख़र्च कर दीं कि जो लोग उसकी बात पर कान धरते हैं उनको बड़े-बड़े सवाब से आम ख़ैर से मेहरूम कर देता है, अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से हमें शैतानी तरीक़ों से महफ़ूज़ फ़रमाये। फिर शैतान ने इसी पर बस नहीं किया कि अपनी शैतानियत के कारण उनको अपनी तरफ़ लगा लिया और उनको बड़ी ख़ैर से मेहरूम कर दिया बल्कि उनको इबादत और ख़ैर की जगह ऐसे कामों में लगा दिया जो इबादत की ज़िद हैं (यानी इबादत के ख़िलाफ़ हैं) उनके लिये बिद्अ़तें जारी कर दीं और नफ़्स की ख़्वाहिशों में मुब्तला कर दिया और खाने-पीने की चीज़ें और मिठाइयाँ ऐसी निकाल दीं जो मूर्तियों की शक्ल में होती हैं, शरअ़न जिनका बनाना और घर में रखना हराम है।

मसूर की दाल

बाज़ लोग इस तारीख़ में मसूर की दाल ज़रूर पकाते हैं। इसकी ईजाद की वजह अब तक मालूम नहीं हुई। इसमें भी वही ख़राबियाँ मौजूद हैं जो हलवे की रस्म में ज़िक्र की गयी हैं जैसे फ़र्ज़ की तरह लाज़िम कर लेना और जो न पकाये उसको बुरा समझना और बुरा-भला कहना।

बरतनों का बदलना और घर का लीपना

बाज़ लोगों ने इस रात में घर लीपने और बरतन बदलने की आ़दत डाल रखी है, यह भी महज़ बेकार और बे-असल है और हिन्दुओं के साथ मुशाबहत है जिसकी हदीस व कुरआन में सख़्त मनाही है।

हासिल यह कि शाबान की पन्द्रहवीं रात मुबारक रात है इसमें नमाज़ें पढ़ना और ज़िक्र व तिलावत में लगना चाहिये और सुबह को

रोज़ा रखना और भी ज़्यादा सवाब का काम है। और हलवे की पाबन्दी करना और बत्तियाँ ज़्यादा जलाना, क़ब्रिस्तान में मेले लगाना, चिराग़ाँ करना, आतिशबाज़ी फुलझड़ी पटाख़े छोड़ना ये सब बातें शरीअ़त के ख़िलाफ़ हैं और बिद्अ़त हैं।

अल्लाह तआ़ला ने मुबारक रात नसीब फ़रमायी इसका तक़ाज़ा यह था कि हम शुक्रगुज़ार बन्दे बनते और इबादत व नेकियों में लगते लेकिन शैतान ने इबादतों से हटाकर बिद्अ़तों में लगा दिया। शैतान हमेशा अपनी कोशिश में लगा रहता है।

अल्लाह तआ़ला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए आमीन।